

# क्षेत्रीय रेलवे उपयोधाकर्ता परामर्शदात्री समिति



20.08.2011



**पूर्व मध्य रेल**

यात्री सेवा एवं विकास के लिए सदा तत्पर



पूर्व मध्य रेल

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति

के



सदस्यों का

हार्दिक अभिनंदन करता है।

बोधगया

अगस्त 20, 2011

पूर्व मध्य रेल  
क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य  
अवधि 16.09.2009 से 15.09.2011 तक

| क्रम सं० | नाम एवं पता                                                                                                                                                                   | संवर्ग       | संस्थान                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1.       | श्री प्रदीप कुमार सिंह<br>माननीय सांसद ,<br>स्थायी पता —<br>ओम नगर, वार्ड नं० 8,<br>जिला—सहरसा, बिहार,<br>वर्तमान पता —<br>157, साउथ एवेन्यू,<br>नई दिल्ली—110011             | माननीय सांसद | संसदीय कार्य मंत्रालय,<br>भारत सरकार द्वारा<br>मनोनित |
| 2.       | श्री मंगनी लाल मंडल,<br>माननीय सांसद ,<br>स्थायी पता— चौथार्ति सदन,<br>रोड नं० 6, पूर्वी पटेल नगर,<br>पटना, बिहार<br>वर्तमान पता — 16, महादेव रोड,<br>नई दिल्ली—110001        | माननीय सांसद | संसदीय कार्य मंत्रालय,<br>भारत सरकार द्वारा<br>मनोनित |
| 3.       | श्री राजीव रंजन सिंह,<br>माननीय सांसद,<br>स्थायी पता—<br>बी—85, बुद्धा कॉलोनी , पटना बिहार<br>वर्तमान पता—<br>सी—1 / 15, पंडारा पार्क,<br>नई दिल्ली—110003                    | माननीय सांसद | संसदीय कार्य मंत्रालय,<br>भारत सरकार द्वारा<br>मनोनित |
| 4.       | श्री जगदानन्द सिंह<br>माननीय सांसद ,<br>स्थायी पता— ग्राम एवं पोस्ट— सहुका<br>जिला— कैमुर, बिहार<br>वर्तमान पता—<br>बी—702, एम.एस.फ्लैट,<br>बी.के.एस.मार्ग, नई दिल्ली         | माननीय सांसद | संसदीय कार्य मंत्रालय,<br>भारत सरकार द्वारा<br>मनोनित |
| 5.       | श्री पकौड़ी लाल<br>माननीय सांसद,<br>स्थायी पता—<br>पोस्ट—पातेहेशकला, कुबरीपातेहेरा<br>जिला— मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश<br>वर्तमान पता—<br>98, नॉर्थ एवेन्यू,<br>नई दिल्ली 110001 | माननीय सांसद | संसदीय कार्य मंत्रालय,<br>भारत सरकार द्वारा<br>मनोनित |

|     |                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 6.  | श्री कामेश्वर बैठा<br>माननीय सांसद ,<br>स्थायी पता— ग्राम— धनचाबर,<br>पो0 — मुरमा कला, थाना—बिश्रामपुर<br>जिला —पलामू झारखंड<br>वर्तमान पता—<br>520, भी.पी. हॉर्स, रफी मार्ग,<br>नई दिल्ली—110001                          | माननीय सांसद  | संसदीय कार्य मंत्रालय,<br>भारत सरकार द्वारा<br>मनोनित |
| 7.  | श्री बाबू लाल मंराडी<br>माननीय सांसद,<br>स्थायी पता—ग्राम—कोदई बैंक ,<br>पो0— चन्दौरी, थाना — तिसरी,<br>जिला— गिरिडीह, झारखंड<br>वर्तमान पता—<br>23, बलबंत राय मेहता लेन,<br>नई दिल्ली—110001                              | माननीय सांसद  | संसदीय कार्य मंत्रालय,<br>भारत सरकार द्वारा<br>मनोनित |
| 8.  | सुश्री माबेल रेबेलो,<br>माननीया सांसद,<br>स्थायी पता—<br>होली कॉस अस्पताल परिसर,<br>रामपुर पंचायत मे, चैनपुर ब्लॉक,<br>जिला— गुमला, झारखंड<br>वर्तमान पता—<br>701, ब्रह्मपुत्रा, डॉ विश्वबर दास मार्ग,<br>नई दिल्ली—110001 | माननीय सांसद  | संसदीय कार्य मंत्रालय,<br>भारत सरकार द्वारा<br>मनोनित |
| 9.  | श्री गंगा चरन<br>माननीय सांसद<br>मोहल्ला— पथनपुरा, रथ,<br>जिला— हमीरपुर, उत्तर प्रदेश<br>वर्तमान पता—<br>21, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली                                                                                       | माननीय सांसद  | संसदीय कार्य मंत्रालय,<br>भारत सरकार द्वारा<br>मनोनित |
| 10. | श्री डॉ सी.पी. ठाकुर<br>माननीय सांसद<br>सी. काम्पलेक्स, फेजर रोड,<br>पटना , बिहार<br>वर्तमान पता—<br>401, ब्रह्मपुत्रा, डॉ बी.डी. मार्ग,<br>नई दिल्ली—110001                                                               | माननीय सांसद  | संसदीय कार्य मंत्रालय,<br>भारत सरकार द्वारा<br>मनोनित |
| 11. | श्री नित्यानन्द राय<br>माननीय विधायक<br>13, छज्जूबाग<br>पटना<br>दूरभाष — 0612—2227305,<br>मो0— 9431817020                                                                                                                  | माननीय विधायक | बिहार सरकार<br>द्वारा मनोनित                          |

|     |                                                                                                                                      |                                             |                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 12. | श्री जय किशोर दत्त<br>301ए, चतुरंग एपार्टमेन्ट,<br>ए.एन.पथ, नार्थ एस. के. पुरी<br>बोरिंग रोड, पटना<br>मो0— 9470001266,<br>9934067846 | राज्य सरकार के<br>प्रतिनिधि                 | बिहार सरकार                                                             |
| 13. | डा0 अनुप कुमार केडिया<br>बसेरा, 101-ए गोसाईबाग,<br>टेकारी रोड, गया<br>मो0 — 9430056396                                               | चेम्बर ऑफ कॉमर्स                            | सेन्ट्रल बिहार चेम्बर<br>ऑफ कॉमर्स, गया<br>एनआरयूसीसी हेतु<br>निर्वाचित |
| 14. | श्री सुबोध कुमार जैन<br>मे. एशियन ट्रेडर्स ,<br>राजेन्द्र पथ, पटना<br>दूरभाष — 0612-2221391,<br>2320195<br>मो0— 9334110115           | चेम्बर ऑफ कॉमर्स                            | बिहार चेम्बर ऑफ<br>कॉमर्स पटना                                          |
| 15. | श्री बैधनाथ सिंह<br>115-बी, शान्ति भवन सेन्टर,<br>बैंक मोड़, धनबाद<br>दूरभाष — 0326-2303020<br>मो0 — 9431121849                      | इन्डस्ट्रीज एंड कॉमर्स                      | इन्डस्ट्रीज एंड कॉमर्स<br>एशोशिएसन, धनबाद                               |
| 16. | श्री देवी लाल<br>छोटी सरैयागंज, मुजफ्फरपुर<br>दूरभाष — 0621-2247000<br>मो0— 9430474700                                               | ट्रेड एशोशिएसन                              | जेनरल मचेन्ट<br>एशोशिएसन,<br>मुजफ्फरपुर                                 |
| 17. | श्री मनोज कुमार सिंह<br>ग्राम— चौधबन्नी, पो. बाबूबगीचा<br>भाया— मानसी, जिला खगड़िया<br>मो0— 9709325196                               | राज्य सरकार के कृषि<br>क्षेत्र के प्रतिनिधि | बिहार सरकार                                                             |
| 18. | श्री कमलेश्वरी मेहता,<br>ग्राम—किशुनगंज रामबाग<br>पो.—उदाकिशुनगंज<br>जिला—मधेपुरा<br>मो0— 9006792624                                 | राज्य सरकार के कृषि<br>क्षेत्र के प्रतिनिधि | बिहार सरकार                                                             |
| 19. | श्री दुर्गेश कुमार राय<br>द्वारा— श्री मिथलेश कुमार<br>उर्फ भीम सिंह<br>ग्राम —पो0 —मेयारी<br>जिला — समस्तीपुर<br>मो0— 9431425177    | डी.आर.यू.सी.सी.<br>के<br>प्रतिनिधि          | सोनपुर                                                                  |

|     |                                                                                                                                                     |                                    |                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 20. | श्री गुल्लू अंसारी<br>ग्राम एवं पो. धोरियो मोहबनी<br>थाना— गोबिंदपुर, जिला— धनबाद<br>मो0— 9835158099                                                | डी.आर.यू.सी.सी.<br>के<br>प्रतिनिधि | धनबाद                                          |
| 21. | श्री विधासागर<br>गायधाट दक्षिणी गली, उषा कुंज<br>गुलजारबाग, पटना<br>मो0— 9308635760                                                                 | डी.आर.यू.सी.सी.<br>के<br>प्रतिनिधि | दानापुर                                        |
| 22. | श्री विनोद गुप्ता<br>रव0 शिव शंकर प्रसाद<br>वार्ड नं. 19, गोला रोड,<br>पी ओ एवं जिला— समस्तीपुर<br>मो0— 9471042677                                  | डी.आर.यू.सी.सी.<br>के<br>प्रतिनिधि | समस्तीपुर                                      |
| 23. | श्री डॉ.कौशलेन्द्र प्रताप,<br>राठौर भवन, नार्थ मैकलियोड गंज,<br>स्वराजपुरी रोड, गया<br>बिहार, 823001<br>मो0— 09835269891                            | डी.आर.यू.सी.सी.<br>के<br>प्रतिनिधि | मुगलसराय                                       |
| 24. | श्री बिनय कुमार<br>डी-4, एन.एच.-4, एन.टी.पी.सी.,<br>पो. रिहन्दनगर, जिला—सोनभद्र<br>उत्तर प्रदेश<br>दूरभाष — 05446-242894<br>मो0— 9415122176         | पब्लिक सेक्टर                      | एन.टी.पी.सी./रिहन्द                            |
| 25. | श्री रंजन कुमार साहा<br>अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,<br>सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,<br>दरभंगा हाउस, राँची<br>दूरभाष — 0651-2360001<br>मो0— 9431170652 | पब्लिक सेक्टर                      | सी.सी.एल./राँची                                |
| 26. | श्री देवेन्द्र कुमार जैन<br>साकेत जी.बी.रोड, गया<br>दूरभाष — 0631-2222777,<br>2222333<br>मो0 — 9431224555                                           | रजिस्टर्ड पैसेन्जर<br>एशोशिएसन     | ग्रेन्ड कार्ड पैसेन्जर<br>एशोशिएसन, गया        |
| 27. | श्री गोबिन्द प्रसाद केजरीवाल<br>केजरीवाल एंड कम्पनी सुतापट्टी,<br>मुजफ्फरपुर<br>दूरभाष — 0621-2243151<br>मो0 — 9431238678                           | रजिस्टर्ड पैसेन्जर<br>एशोशिएसन     | नार्थ बिहार ट्रेवलर<br>एशोशिएसन,<br>मुजफ्फरपुर |
| 28. | श्री योगेन्द्र प्र. सिंह<br>पो. भगवानपुर, जि. वैशाली<br>मो — 09304620729                                                                            | रजिस्टर्ड पैसेन्जर<br>एशोशिएसन     | दैनिक यात्री संघ,<br>भगवानपुर वैशाली           |

|     |                                                                                                                           |                                      |                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 29. | श्री रोहन लाल मेहता<br>रोहित चित मन्दिर, थाना चौक,<br>डेहरी ऑन सोन, रोहतास<br>दूरभाष — 06184-250722<br>मो0— 9431465812    | केन्द्रिय मंत्री<br>द्वारा<br>मनोनीत | श्रीमती मीरा कुमार,<br>माननीय<br>लोक सभा अध्यक्ष |
| 30. | श्री कुमुद वर्मा<br>वरिष्ठ पत्रकार, टाईम्स ऑफ इन्डिया,<br>पटना<br>दूरभाष — 0612-2252584<br>मो0 — 9835052496               | महाप्रबंधक के विशेष<br>रुचि          | महाप्रबंधक के विशेष<br>रुचि                      |
| 31. | मो0 कादिर हुसैन<br>हाजी-लॉज, ग्राम-पोस्ट श्रीरामपुर,<br>तोपचौची, जिला धनबाद<br>दूरभाष —<br>मो0— 9973848530,<br>9973848532 | रेल मंत्री का<br>विशेष रुचि          | रेल मंत्री का<br>विशेष रुचि                      |
| 32. | श्री पं. राजेश शुक्ला टिल्लू<br>हीरानन्द साह लेन चौक,<br>पटना सिटी, पटना<br>दूरभाष — 0612-2642111<br>मो0 — 9431014654     | रेल मंत्री का<br>विशेष रुचि          | रेल मंत्री का<br>विशेष रुचि                      |
| 33. | श्री मनीष कुमार<br>प्रेम निवास, सुभाषनगर<br>गली नं.-7 पो. डालमीयानगर,<br>था.- डिहरी, जिला- रोहतास<br>मो0— 9334950704      | रेल मंत्री का<br>विशेष रुचि          | रेल मंत्री का<br>विशेष रुचि                      |
| 34. | श्री अभिषेक गुप्ता<br>गुहल्ला-बनियोपट्टी, पो-मोतिहारी,<br>जिला-पूर्वी चम्पारण<br>मो0— 9934002265                          | रेल मंत्री का<br>विशेष रुचि          | रेल मंत्री का<br>विशेष रुचि                      |
| 35. | श्री बिक्रम पाण्डेय<br>मेन रोड, फुसरो<br>पो- फुसरो बाजार<br>जिला-बोकारो<br>मो0— 09431128604                               | रेल मंत्री का<br>विशेष रुचि          | रेल मंत्री का<br>विशेष रुचि                      |
| 36. | श्री आर0यू0सिंह<br>1, आई.ए.एस कालोनी,<br>किदवईपुरी, पटना<br>मो0— 9431021508                                               | रेल मंत्री का<br>विशेष रुचि          | रेल मंत्री का<br>विशेष रुचि                      |
| 37. | श्री कौलेश कुमार<br>एच-11, फतेहपुर हाउस, मानसिंह पथ<br>चित्रगुप्त नगर, कंकड़बाग, पटना<br>मो0— 9631616268                  | रेल मंत्री का<br>विशेष रुचि          | रेल मंत्री का<br>विशेष रुचि                      |

# पूर्व मध्य रेल के विभागाध्यक्ष

वरुण मरथुडार  
श्री के. के. श्रीवास्तव — महाप्रबंधक सह अध्यक्ष / जेड.आर.यू.सी.सी.  
श्री ए. के. झा — उप महाप्रबंधक (सा.) सह सचिव / जेड.आर.यू.सी.सी.

## मुख्यालय

| क्रम सं० | नाम                   | पद                                   |
|----------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1.       | श्री अरुण शुक्ला      | अपर महाप्रबंधक                       |
| 2.       | श्री अरु.एस. षण्डेय   | मुख्य परिचालन प्रबंधक दीपक छावड़ा    |
| 3.       | श्री जी. एस. तिवारी   | मु.प्र.अधिकारी / निर्माण / द०.       |
| 4.       | श्री मनोज कुमार       | प्रमुख मुख्य इंजीनियर शत्रुघ्न कुमार |
| 5.       | श्री दीपक छावड़ा      | मुख्य वाणिज्य प्रबंधक                |
| 6.       | श्री सज्जना राम       | मुख्य सुरक्षा आयुक्त संजय कुमार      |
| 7.       | श्री के. पी. सच       | मुख्य यंत्रिक इंजीनियर               |
| 8.       | श्री बी. राय          | वित्तसलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी    |
| 9.       | श्री आर. सिंह         | भंडार नियंत्रक                       |
| 10.      | श्री एच० के० अग्रवाल  | मुख्य सिग्नल एवं दूर संचार इंजीनियर  |
| 11.      | श्री बी.पी. गुप्ता    | वरीय उप महाप्रबंधक                   |
| 12.      | श्री जे. एस. पी. सिंह | मुख्य कार्मिक अधिकारी                |
| 13.      | डा० बी. सवाई          | मुख्य चिकित्सा निदेशक                |
| 14.      | श्री ओम प्रकाश        | महाप्रबंधक के सचिव                   |
| 15.      | श्री जीरज अम्बवा      | मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी              |

## मंडल

|     |                           |                              |
|-----|---------------------------|------------------------------|
| 16. | श्री आर. एल. गुप्ता       | मंडल रेल प्रबंधक / सोनपुर    |
| 17. | श्री सत्य प्रकाश त्रिवेदी | मंडल रेल प्रबंधक / समस्तीपुर |
| 18. | श्री एल.एम.झा             | मंडल रेल प्रबंधक / दानापुर   |
| 19. | श्री ए. एस. उपाध्याय      | मंडल रेल प्रबंधक / धनबाद     |
| 20. | श्री डी. के. गायेन        | मंडल रेल प्रबंधक / मुगलसराय  |

## पूर्व मध्य रेल : एक परिचय

जिला — वैशाली, हाजीपुर — 844101  
(बिहार)

भारतीय रेल के नवसृजित क्षेत्रीय रेलों में से एक पूर्व मध्य रेल की स्थापना 01 अक्टूबर, 2002 को हुई। इसके अंतर्गत 05 मंडल आते हैं यथा— सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय एवं धनबाद। यह मुख्यतया बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैली हुई है।

| वर्ष 2010-11 में परिसम्पत्ति, अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थापन |                           |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
|                                                                 | योजना परिव्यय (करोड़ में) |         |
|                                                                 | 2009-10                   | 2010-11 |
| नई लाइन (निर्माण)                                               | 321.42                    | 419     |
| खराब लाइनों का पुनर्निर्माण                                     | 5.00                      | 40      |
| आमान परिवर्तन                                                   | 110.10                    | 52      |
| दोहरीकरण                                                        | 85.58                     | 119.80  |
| रेल पथ सुविधा — यार्ड पुर्ननिर्माण एवं अन्य                     | 69.99                     | 89.15   |
| कंप्यूटरीकरण                                                    | 10.70                     | 10.44   |
| चल स्टॉक                                                        | 14.33                     | 8.60    |
| सड़क संरक्षा                                                    | ....                      | 72.82   |
| रेल पथ नवीकरण                                                   | ...                       | 320.00  |
| सिगनलिंग एवं दूरसंचार कार्य                                     | 60.58                     | 62.49   |
| अन्य विद्युतीय कार्य                                            | 13.9                      | 14.50   |
| मशीन एवं संयंत्र                                                | 8.87                      | 6.00    |
| उत्पादन इकाई सहित कारखाना                                       | 847.81                    | 443.03  |
| यात्री सुविधाएँ                                                 | 37.63                     | 102.34  |
| अन्य वर्गीकृत कार्य                                             | ....                      | 12.34   |
| कुल                                                             | 1585.92                   | 1772.91 |

### वर्ष 2010-11 के लिए योजनाएँ

रेल ने वर्ष 2010-11 में पूर्व मध्य रेल को कैपिटल निवेश के लिए रु. 1772.91 करोड़ आवंटित किया था। प्रमुख निवेश शीर्षों में रु. 590.8 करोड़ की लागत से नई लाइनों का निर्माण, आमान परिवर्तन एवं दोहरीकरण कार्य शामिल है जो कुल योजना निवेश का लगभग 33.32 % है। रेल पथ नवीकरण को भी उच्च प्राथमिकता देते हुए इस शीर्ष में रु. 320.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उत्पादन इकाई सहित कारखाना संबंधी कार्य तथा सिगनल एवं दूरसंचार को भी उच्च प्राथमिकता दी गयी है तथा क्रमशः रु. 443.03 करोड़ एवं रु. 62.49 करोड़ का आवंटन किया गया था।

## रूट किलोमीटर एवं विद्युतीकरण

| गेज               | रूट किलोमीटर | ट्रैक किलोमीटर | कुल ट्रैक किलोमीटर |
|-------------------|--------------|----------------|--------------------|
| बी.जी. एवं एम.जी. | 3556.778     | 5136.236       | 7644.605           |
| विद्युतीकरण       | 1407.827     | 3758.3447      |                    |

## सामग्री वार माल-भाड़ा लक्ष्य

| सामग्री    | 2010-2011 (ऑकड़े मिलियन टन में) |
|------------|---------------------------------|
| कोयला      | 78.00                           |
| पी. ओ. एल. | 01.35                           |
| आरएमएसपी   | 0.42                            |
| सीमेन्ट    | 00.90                           |
| बॉक्साइट   | 01.24                           |
| अन्य       | 02.89                           |
| कुल        | 85.00                           |

2010-11 में कुल 88.14 मिलियन टन रेकार्ड माल लदान किया गया जो कि लक्ष्य से 3.14 मिलियन टन ज्यादा है।

## मंडल

दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर एवं सोनपुर

## कारखाना

- समस्तीपुर कारखाना / समस्तीपुर
- इंजीनियरिंग एवं पुल कारखाना / मुगलसराय
- फ्लश बट वेल्डिंग प्लांट / मुगलसराय
- ट्रैक मशीन शॉप / मुगलसराय

## मंडल

### दानापुर मंडल

दानापुर, बिहार

भारत सरकार द्वारा ईस्ट इंडियन रेलवे के अधिग्रहण के पश्चात् 1 जनवरी 1925 को दानापुर मंडल अस्तित्व में आया। झांझा और मुगलसराय के बीच मेन लाईन का निर्माण ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा 1862 ई. में कराया गया था। इसके पश्चात् किऊल-गया और पटना-गया लाईन इसमें शामिल किए गए। 1978 में दानापुर मंडल का विभाजन दानापुर और मुगलसराय मंडल के रूप में किया गया।

#### सेवित क्षेत्र

दानापुर मंडल द्वारा बिहार के 10 जिले और उत्तर प्रदेश के 02 जिले सेवित हैं। इसका विस्तार मुगलसराय से (मुगलसराय स्टेशन छोड़कर) झांझा, पटना से गया (गया स्टेशन छोड़कर), फतुहा से इस्लामपुर, बख्तियारपुर से तिलैया, हाथीदा से राजेन्द्रपुर, किऊल से मानपुर (मानपुर स्टेशन छोड़कर) और दिलदारनगर से ताड़ीघाट तक है।

#### रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

|              |                | विद्युतीकरण  |                |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| रूट किलोमीटर | ट्रैक किलोमीटर | रूट किलोमीटर | ट्रैक किलोमीटर |
| 781.841      | 1587.417       | 1271.27      | 1324.75        |

#### यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| जंक्शन स्टेशन | : | 09  |
| ब्लॉक स्टेशन  | : | 74  |
| हॉल्ट स्टेशन  | : | 118 |
| फ्लैग स्टेशन  | : | 15  |

#### सेवित उद्योग

भारत वैगन (मोकामा) और विभिन्न स्थलों के एफ.सी.आई के गोदाम इस मंडल द्वारा सेवित हैं।

#### गुड्स शेड

फतुहा, जमुई, किऊल, लखीसराय, जहानाबाद, आरा, वारसलीगंज, बिहारशरीफ, बक्सर, दानापुर, मोकामा और शेखपुरा।

## धनबाद मंडल

धनबाद, झारखंड

### सेवित क्षेत्र :

झारखंड में धनबाद, हजारीबाग, राँची, बोकारो, कोडरमा, पलामू, लातेहार, गढ़वा और गिरिडीह, बिहार में नवादा और गया, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिला।

### रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

|              |                | विद्युतीकरण  |                |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| रूट किलोमीटर | ट्रैक किलोमीटर | रूट किलोमीटर | ट्रैक किलोमीटर |
| 866.840      | 2384.73        | 598.00       | 1526.00        |

### यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| जंक्शन स्टेशन | : | 07 |
| ब्लॉक स्टेशन  | : | 88 |
| हॉल्ट स्टेशन  | : | 30 |

### सेवित उद्योग

बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल एवं एन.सी.एल. के कोलफिल्ड, टिस्को का वेस्ट बोकारो कोल वाशरी, टिस्को का चासनाला कोलियरी, सी.टी.पी.एस., बी.टी.पी.एस, ए.टी.पी.एस., ओ.टी.पी.एस, पी.टी.पी.एस, एस.एस.टी.पी.पी., वी.एस.टी.पी.पी. और आर.एच.एस.टी.पी.पी. के पावर हाउस, सिन्दरी स्थित ए.सी.सी. सीमेंट फैक्टरी, रेणुकूट स्थित हिंडालकों, रेणुकूट स्थित कानोरिया केमिकल्स, गढ़वा रोड स्थित बिड़ला केमिकल, जे.पी.सीमेंट, सलाइवना तथा जिंदल स्टील पतरातु।

### गुड्स शेड

धनबाद, हजारीबाग रोड, कोडरमा, राँची रोड, बरकाकाना, डाल्टेनगंज, टोरी, रिचुगुटा, सिंगरौली, बिल्ली, महदईया, पतरातु एवं भुड़कुण्डा।

## मुगलसराय मंडल

मुगलसराय — 232101  
उत्तर प्रदेश

मानपुर—मुगलसराय सेक्शन इस महाद्वीप का व्यवस्तम माल परिवहन करने वाला ग्रैंड कॉर्ड के नाम से विख्यात रेल मार्ग का एक भाग है। मुगलसराय—हावड़ा मार्ग पर सोन नदी पर 3 किलोमीटर लंबा बृहत्तम रेल सेतु है। 1878 ई. में स्थापित रेलवे इंटर कॉलेज, मुगलसराय एक प्राचीनतम शैक्षणिक संस्था है।

### सेवित क्षेत्र :

बिहार में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया, झारखंड में पलामू और उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिला।

### रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

| विद्युतीकरण  |                |              |                |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| रूट किलोमीटर | ट्रैक किलोमीटर | रूट किलोमीटर | ट्रैक किलोमीटर |
| 415.045      | 856.315        | 308.3        | 748            |

### यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| जंक्शन स्टेशन | : | 05 |
| ब्लॉक स्टेशन  | : | 43 |
| हॉल्ट स्टेशन  | : | 29 |

### सेवित उद्योग

यह मंडल डेहरी—ऑन—सोन स्थित कल्याणपुर सीमेंट तथा पायराइट्स एण्ड फासफेट लिमिटेड को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

### गुड्स शेड

मानपुर, गया, अनुग्रहनारायण रोड, सोननगर, नबीनगर, रफीगंज, डेहरी—ऑन—सोन, सासाराम, भभुआ रोड, मुगलसराय माल प्रचालन टर्मिनल हैं।

## समस्तीपुर मंडल

समस्तीपुर -848101  
बिहार

### सेवित क्षेत्र :

समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, दौरम मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णियां, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, खगड़िया और अररिया।

### रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

| गेज    | रूट किलोमीटर | ट्रैक किलोमीटर |
|--------|--------------|----------------|
| बी.जी. | 600.46       | 600.46         |
| एम.जी. | 466.96       | 466.96         |

### यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| जंक्शन स्टेशन | : | 09 |
| ब्लॉक स्टेशन  | : | 98 |
| हॉल्ट स्टेशन  | : | 67 |
| फ्लैग स्टेशन  | : | 18 |

### सेवित उद्योग

यह मंडल मुक्तापुर जूट मिल, हरिनगर चीनी मिल, नरकटियागंज चीनी मिल एवं हसनपुर चीनी मिल को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

### गुड्स शेड

लहेरियासराय, दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, मोतिहारी, बेतिया, चकिया, सहरसा, कौंटी, थलवारा, खजौली, हरिनगर, नरकटियागंज एवं हसनपुर ।

## सोनपुर मंडल

सोनपुर — 841101  
बिहार

सेवित क्षेत्र :

बिहार का छपरा (सारण), वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगुसराय, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार जिला।

रूट किलोमीटर तथा विद्युतीकरण

| विद्युतीकरण  |                |              |                |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| रूट किलोमीटर | ट्रैक किलोमीटर | रूट किलोमीटर | ट्रैक किलोमीटर |
| 469.683      | 992.465        | 10.527       | 60.3447        |

यात्री स्टेशन/हॉल्टों की संख्या :

|               |      |
|---------------|------|
| जंक्शन स्टेशन | : 06 |
| ब्लॉक स्टेशन  | : 54 |
| हॉल्ट स्टेशन  | : 26 |
| फ्लैग स्टेशन  | : 02 |

सेवित उद्योग

यह मंडल मुजफ्फरपुर के निकट कांटी विजली उत्पादन निगम लि०, बरौनी के निकट बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, ऑयल रिफाइनरी बरौनी, मुजफ्फरपुर स्थित भारत वैगन इंजीनियरी लिमिटेड, एफ.सी.आई.साईडिंग एवं वी.पी.सी.एल. साईडिंग को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

गुड्स शेड

सोनपुर, सराय, नारायणपुर अनंत, कपूर्नी ग्राम, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया, मानसी, नवगछिया, कुर्सेला एवं सेमापुर।

## यात्री सुविधाओं एवं परिचालन से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

- पूर्व मध्य रेल पर 121 कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र हैं।
- पूर्व मध्य रेल पर 329 स्टेशनों पर यू.टी.एस. उपलब्ध हैं।
- पूर्व मध्य रेल पर 45 स्टेशनों पर यू.टी.एस. सह पी.आर.एस. उपलब्ध हैं।
- पूर्व मध्य रेल पर 2009—10 में प्रतिदिन लगभग 240 माल गाड़ियाँ चली थी और 2010—11 में करीब 260 मालगाड़ियाँ प्रतिदिन चली हैं।
- पूर्व मध्य रेल में माल लदान भारतीय रेल के कुल माल लदान का 9.56 प्रतिशत है और भारतीय रेल में पूर्व मध्य रेल का स्थान 5वाँ है।
- पूर्व मध्य रेल पर कोयले का लदान भारतीय रेल पर कोयले के लदान का 19.06 प्रतिशत है और भारतीय रेल में पूर्व मध्य रेल का स्थान दूसरा है। पूर्व मध्य रेल में 2011—12 के जुलाई 2011 तक 28.15 मिलियन टन कोयला का लदान किया गया है।
- पूर्व मध्य रेल ने 2010—11 में 88.14 मिलियन टन माल लदान किया जो एक रेकार्ड है। पूर्व मध्य रेल में 2011—12 के जुलाई 2011 तक 30.81 मिलियन टन माल लदान किया गया है।

## यात्री भीड़-भाड़ का निपटान

### अतिरिक्त कोच

पूर्व मध्य रेल में विभिन्न श्रेणियों में 2011—2012 में जुलाई माह तक कुल 1701 अतिरिक्त कोच लगाये गये।

### अतिरिक्त सीटें/बर्थ

यात्रियों की अतिरिक्त भीड़-भाड़ का निपटान करने हेतु 2010—2011 में लगभग 1,53,942 अतिरिक्त सीटें/बर्थ की व्यवस्था की गई।

## विशेष रेलगाड़ियाँ

पूर्व मध्य रेल द्वारा ग्रीष्मकाल एवं श्रावणी मेला के अवसर पर 2011-12 जुलाई माह तक 16 विशेष रेलगाड़ियों के द्वारा 368 फेरे लगाये गये।

## सवारी गाड़ी के परिचालन की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं

|    | विवरण                                 | पूर्व मध्य रेल की स्थापना से |
|----|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. | नई गाड़ियों का आरंभ                   | 142 जोड़ी                    |
| 2. | गाड़ी सेवाओं का विस्तार               | 79 जोड़ी                     |
| 3. | गाड़ियों के फेरों में वृद्धि          | 27 जोड़ी                     |
| 4. | विभिन्न स्टेशनों पर गाड़ियों का ठहराव | 583 जोड़ी                    |
| 5. | नये हाल्ट                             | 100                          |

## यात्री विवरण

2010-11

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| प्रतिदिन यात्रियों की औसत संख्या | 7.54 लाख   |
| उपनगरीय                          | शून्य      |
| गैर-उपनगरीय                      | 7.54 लाख   |
| यात्रियों की कुल संख्या          | 9.21 करोड़ |
| उपनगरीय                          | शून्य      |
| गैर-उपनगरीय                      | 9.21 करोड़ |

## यात्री आय

अन्तर (रु. करोड़ में)

|                                      |         |                 |
|--------------------------------------|---------|-----------------|
| 2009—10                              | 1236.01 | 103.46 (9.14 %) |
| 2010—11                              | 1329.81 | 93.80 (7.59 %)  |
| 2010—11<br>(अप्रैल '10 से जुलाई '10) | 467.16  |                 |
| 2011—12<br>(अप्रैल '11 से जुलाई '11) | 526.96  | 59.80 (12.80 %) |

## माल—भाड़ा आय

अन्तर (रु. करोड़ में)

|                                      |         |                  |
|--------------------------------------|---------|------------------|
| 2009—10                              | 4777.82 | 499.58 (11.68 %) |
| 2010—11                              | 5543.64 | 665.82 (13.94 %) |
| 2010—11<br>(अप्रैल '10 से जुलाई '10) | 1667.28 |                  |
| 2011—12<br>(अप्रैल '11 से जुलाई '11) | 2008.89 | 341.61 (20.49 %) |

## सकल आय

अन्तर (रु. करोड़ में)

|                                      |         |                  |
|--------------------------------------|---------|------------------|
| 2009—10                              | 6109.88 | 615.94 (11.21 %) |
| 2010—11                              | 6886.21 | 776.33 (12.71 %) |
| 2010—11<br>(अप्रैल '10 से जुलाई '10) | 2168.85 |                  |
| 2011—12<br>(अप्रैल '11 से जुलाई '11) | 2575.73 | 406.88 (18.76 %) |

## यात्री वृद्धि

(आंकड़े करोड़ में)

| शीर्ष                   | वार्षिक |         |                                         |                                         |
|-------------------------|---------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                         | 2009—10 | 2010—11 | 2010—11<br>(अप्रैल '10 से<br>जुलाई '10) | 2011—12<br>(अप्रैल '11 से<br>जुलाई '11) |
| यात्रियों की कुल संख्या | 24.93   | 24.74   | 8.63                                    | 9.21                                    |
| गत वर्ष से अन्तर(%में)  | 7.36 %  | -0.76%  | 2.33                                    | 6.72                                    |

## यात्री सुविधाओं पर किया गया व्यय

| वर्ष                              | व्यय        |
|-----------------------------------|-------------|
| 2008—09                           | 23.29 करोड़ |
| 2009—10                           | 33.17 करोड़ |
| 2010—11                           | 36.35 करोड़ |
| 2011—12 (अप्रैल '11 से जुलाई '11) | 08.41 करोड़ |

## माल—भाड़ा तुलनात्मक लदान

(मिलियन टन में)

| शीर्ष             | 2009—10 | 2010—11 | 2011—12<br>(अप्रैल '11 से जुलाई '11) |
|-------------------|---------|---------|--------------------------------------|
| कोयला             | 72.54   | 80.09   | 28.15                                |
| अन्य सामग्री      | 6.62    | 8.05    | 2.66                                 |
| कुल               | 79.16   | 88.14   | 30.81                                |
| गत वर्ष से वृद्धि | 3.20 %  | 11.33 % | 14.87 %                              |

# सफाई

यह पूर्व मध्य रेल का उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। इसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर अपर महाप्रबंधक एवं मंडल स्तर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा की जाती है।

- स्टेशनों पर सफाई के स्तर को बढ़ाने के लिए 'ए-1' श्रेणी के 03, 'ए' श्रेणी के 22, 'बी' श्रेणी के 29, 'डी' श्रेणी के 22 एवं 'ई' श्रेणी के 09 स्टेशनों पर सफाई की जिम्मेवारी निजी एजेंसियों को दी गयी है।
- पूर्व मध्य रेल पर सफाई कार्य के पर्यवेक्षण के लिए सफाई निरीक्षक के 31 पदों के अतिरिक्त 40 नये पद स्वीकृत किये गये हैं। साथ ही सफाई पर्यवेक्षक के पूर्व के 16 पदों के अतिरिक्त 17 नये पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है।
- क्लीन ट्रेन सर्विस योजना के अंतर्गत बरौनी एवं मुगलसराय स्टेशनों से गुजरने वाली क्रमशः 22 एवं 61 ट्रेनों के दरवाजे एवं शौचालयों के अतिरिक्त वातानुकूल कोचों की खिड़कियों के शीशे की सफाई की जाती है।
- पूर्व मध्य रेल की 21 जोड़ी ट्रेनों में ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग योजना के अंतर्गत सफाई कार्य का ठेका निजी एजेंसियों को प्रदान किया गया है।
- पूर्व मध्य रेल के 55 स्टेशनों पर पे एण्ड यूज शौचालयों की व्यवस्था की गयी है जिनमें 07 स्टेशनों (गया, मुगलसराय, धनबाद, पटना, राजेन्द्रनगर टर्मिनल, हाजीपुर एवं मुजफ्फरपुर) पर पे एण्ड यूज शौचालयों के अतिरिक्त डिलक्स शौचालयों की भी व्यवस्था की गयी है।
- कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बल प्रदान करने एवं इस अभियान को सफल बनाने के लिए रेल उपयोगकर्ताओं से और सकारात्मक सहयोग अपेक्षित है।
- 11 स्टेशनों के प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, शौचालय, वाशेवल एप्रॉन आदि की सफाई के लिए मेकानाइज्ड क्लीनिंग का ठेका निजी एजेंसियों को प्रदान किया गया है।
- 33 स्टेशनों पर रैग पिकिंग कॉन्ट्रैक्ट के तहत ठेका निजी एजेंसियों को दिया गया है।
- 27 स्टेशनों पर गार्बेज डिस्पोजल कॉन्ट्रैक्ट के तहत ठेका निजी एजेंसियों को दिया गया है।

## न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था

पूर्व मध्य रेल में स्थित 681 स्टेशनों में न्यूनतम बुनियादी सुविधा उपलब्ध है।

### विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

- 'ए-1' एवं 'ए' श्रेणी के सभी स्टेशनों पर उपलब्ध हैं।
- 'बी' श्रेणी के 10 स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध है एवं 19 स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर काम चल रहा है।

### 24—कोच की लम्बाई वाले प्लेटफार्म

- लम्बी गाड़ियों को चलाने के लिए पूर्व मध्य रेल के कुल 66 स्टेशनों को विस्तारित कर 24 कोच क्षमता का बना दिया गया है।

119  
 86  
 33  
238

दि. 27.04.2011 को आयोजित जेडआरयूसीसी की बैठक के कार्यवृत्त पर अनुपालन

|     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0 | श्री सी.पी.ठाकुर , माननीय सांसद, राज्य सभा                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1 | बिहार राज्य एक पिछड़ा क्षेत्र है अतः पटना को ड्राई पोर्ट की तरह विकसित किया जाना चाहिए। | पटना में ड्राईपोर्ट को विकसित करने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है । पटना के समीप फतुहा में ड्राईपोर्ट विकसित किया जा सकता है । इसके लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव आने पर मामले को विचारार्थ रेलवे बोर्ड भेजा जाएगा । इसके लिए कस्टम विभाग से भी क्लीयरेंस लेना होगा ।                                                                   |
| 1.2 | आलू को बिहार से बाहर निर्यात करने की व्यवस्था की जाय।                                   | बिहार के सभी माल गोदामों पर आलू लोडिंग की सुविधा उपलब्ध है । इसके लिए रेलवे के पारा बीसीएन (कबर्ड वैगन) भी उपलब्ध है । व्यापारियों को इडेंट करने के बाद इन वैगनों की सप्लाई पूर्व मध्य रेलवे द्वारा की जाएगी । फिलहाल ऐसा कोई डिमांड पेंडिंग नहीं है ।                                                                              |
| 1.3 | रेलवे को कृषि आधारित फल, सब्जी एवं मछली के निर्यात के लिए व्यवस्था करनी चाहिए।          | पूर्व मध्य रेल के प्रमुख स्टेशनों पर फल, सब्जी एवं मछली की बुकिंग की सुविधा पार्सल वैन तथा माल डब्बों में उपलब्ध है । ज्यादा मांग होने पर मुजफ्फरपुर में लीची लोडिंग के लिए अतिरिक्त पार्सल वैन भी उपलब्ध कराये गये हैं । अन्य किसी स्टेशन पर फल, सब्जी एवं मछली की बुकिंग का प्रस्ताव नहीं आया है ।                                |
| 1.4 | पटना जं. को उत्तम कोटि का स्टेशन बनाया जाय एवं सफाई की समुचित व्यवस्था की जाय ।         | पटना जं. को विश्व स्तर का स्टेशन विकसित करने का प्रस्ताव है रेलवे बोर्ड ने सलाहकार की नियुक्ति की है जो इसके लिए योजना तैयार करेंगे। यह अभी प्रस्ताव के स्तर पर है। पटना स्टेशन को स्वच्छ एवं सुंदर बनाये रखने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। सफाई कार्य में आधुनिक जेट मशीनों का उपयोग भी किया जा रहा है। सफाई कार्य निविदा |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | के आधार पर प्राइवेट एजेंसी से कराया जा रहा है। एजेंसी के कार्य के निरीक्षण के लिए 05 स्वास्थ्य निरीक्षकों को पटना जं. पर प्रतिनियुक्त किया गया है।                                                                                                                                                                                            |
| 1.5 | पटना-गया रेलखंड का दोहरीकरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाय।                                                                                                                                                                                                                | पटना-गया (92 कि.मी.) का दोहरीकरण 64 कि.मी. पूरा हो गया है। बाकी जहानाबाद-बेला 28 कि.मी. लगभग पूरा हो गया है और अगस्त 2011 तक इस सेक्सन को खोलने का प्रयास रहेगा।                                                                                                                                                                              |
| 1.6 | गुजफरपुर-सगस्तीपुर के बीच दूबहा स्टेशन को विकसित किया जाय एवं वहाँ 02-03 ट्रेनों का ठहराव दिया जाय। जैरो काठगोदाम एक्सप्रेस, टाटा एक्सप्रेस या सिर्फ मौर्य एक्सप्रेस।                                                                                                           | ढोली-खुदीरामबोस पूसा के मध्य दुबहा 'ई' श्रेणी का स्टेशन है जहाँ औसत दैनिक यात्री संख्या करीब 625 है। इस स्टेशन पर सभी सवारी गाड़ियों के अलावे 13021/22 मिथिला एक्सप्रेस गाड़ी का ठहराव दिया गया है। अन्य ट्रेनों के ठहराव के लिए आवश्यक सूचना एकत्रित कर ली गयी है जिसके आलोक में अन्य गाड़ियों के ठहराव का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा जायेगा। |
| 1.7 | नगरी आरा-पीरो लाइन में पीरो के नजदीक सभी गाड़ियाँ रुकती है लेकिन वहाँ स्टेशन का नाम नहीं दिया गया है अतः स्टेशन का नामकरण किया जाय।                                                                                                                                             | आरा-सासाराम रेल खंड पर 21 हॉल्ट खोले गये हैं। जहाँ पैसंजर गाड़ियों का ठहराव दिया गया है। पीरो स्टेशन के नजदीक नगरी हॉल्ट को खोलने के लिए नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी।                                                                                                                                                                        |
| 2.0 | श्री मंगनीलाल मंडल, माननीय सांसद, झंझारपुर, लोक सभा                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1 | माननीय सांसद ने महाप्रबंधक महोदय का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों के अखबारों में छपी एवं टी.वी. चैनलों में प्रसारित रामनवमी के दिन की घटना के संबंध में जिक्र करते हुए कहा कि माननीय सांसद के सुरक्षाकर्मी एवं कार्यकर्ता के द्वारा राजधानी एक्सप्रेस को 10 मिनट | इस संबंध में दानापुर मंडल को आवश्यक कार्यवाई हेतु पत्र लिखा गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | तक रोक दिया गया इसे माननीय सांसद ने दुश्प्रचारित घटना बताया और कहा कि इसे प्रशासनिक स्तर पर जाँच करवाई जाय ।                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.2 | मिटिंग आयोजित की तिथि से 15 दिन पहले सदस्यों को बुकलेट भेज दी जाय ।                                                                                                                                                                                                   | इसे सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3 | माननीय सांसद श्री सी.पी. ठाकुर की बातों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक संभावना के विकास कराया जाय और प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड भिजवाया जाय जिससे बिहार के विकास में रेल का योगदान हो सके ।                                                                | क्षेत्रीय रेल के समक्ष जब भी इस तरह के प्रस्ताव आते हैं, उन पर गंभीरता से विचार किया जाता है । क्षेत्रीय रेल के परिक्षेत्र से बाहर के मामले रेलवे बोर्ड के समक्ष विचार हेतु प्रेषित किये जाते हैं ।                                                                                                                                                                             |
| 2.4 | पुल के मामले में तीन गंगा प्रोजेक्ट हैं जैसे पटना, मुगेर में गंगा एवं निर्मली में कोशी, कोशी ब्रिज को कब तक पूरा किया जायगा इसका रिवाइज्ड तिथि (टारगेट)को सुनिश्चित किया जाय । यदि इसे पूरा होने में कोई अड़चन है तो इसे बताया जाय।                                   | मुगेर तथा पटना रेल सह सड़क पुल का टारगेट तिथि दिसम्बर 2013 है। निर्मली कोशी ब्रिज 31.12. 2012 तक पूरा होने की संभावना है। एन.अच.ए.आई. द्वारा रिवर ट्रेनिंग कार्य में दो साल देरी के कारण कार्य बुरी तरह प्रभावित है। इस पुल हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए 50 करोड़ अतिरिक्त राशि मांगी गई है। इस सेतु के पूर्वी भाग में निर्माणाधीन सात छोटे पुलों के लिए भूमि की समस्या है। |
| 2.5 | राकरी से झंझारपुर एवं झंझारपुर से निर्मली और फिर झंझारपुर से लौकहा तक अमान परिवर्तन में पैसे की कमी नहीं होनी चाहिये । इसको बहुत पहले तैयार हो जाना चाहिये था और ये डिपोजिट वर्क है, डिफेंस का पैसा है । इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में क्या दिक्कत है इसे स्पष्ट किया | निर्मली एवं झंझारपुर लौकहाबाजार (आमान परिवर्तन) का कार्य प्रगति पर है। वस्तु स्थिति इस प्रकार है। मिट्टी के कार्य की प्रगति - 55 %, लघुपुल-34%, दीर्घपुल-25 % आशा है कि दोनों प्रोजेक्ट 31.12.12 तक पूरे हो जायेंगे।                                                                                                                                                            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | जाय।                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.6 | कोशी महारोतु को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिये। यदि इसे पूरा होने में कोई दिक्कत है तो स्पष्ट किया जाना चाहिये।                                                                                                                                                                | एन.एच.ए.आई. द्वारा रिवर ट्रेनिंग कार्य में दो साल की देरी के कारण कार्य प्रभावित है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए 50 करोड़ अतिरिक्त राशि मांगी गई है। इस सेतु के पूर्वी भाग में निर्माणाधीन सात छोटे पुलों के लिए भूमि की समस्या है।                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.7 | रक्सौल, जयनगर, जोगवनी यह तीन ऐसा सेन्टर जहाँ से नेपाल के पैसेंजर इंडिया आते और जाते हैं अतः जयनगर में थोड़ी सुविधा तो बढ़ी है, लेकिन गाड़ियों जैसे गरीब रथ में वोगियों को बढ़ाया जाना चाहिए यहाँ से दिल्ली मुम्बई एवं कोलकाता आदि प्रमुख शहरों के लिए जयनगर से सुविधा होनी चाहिये। | गरीब रथ में वोगियों की संख्या बढ़ाने के लिये सीआरएस (CRS) स्वीकृति हेतु लिखा गया है। फिलहाल जयनगर से दिल्ली, कोलकाता, अमृतसर के लिये सीधी सुविधा उपलब्ध है। अतिरिक्त गाड़ियों के परिचालन के लिये उन स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। दरभंगा से हैदराबाद के लिए साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस और जयनगर से रॉंची के लिए द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया गया है। मुम्बई जाने के लिए दरभंगा और मुजफ्फरपुर से ट्रेन सेवा उपलब्ध है। |
| 2.8 | पटना स्टेशन पर एवं इसके आसपास गंदगी की भरमार रहती है अतः इसकी सफाई होनी चाहिये। खासकर पश्चिम तरफ जो स्टेशन बना है उसकी सफाई पर ध्यान दिया जाना चाहिये।                                                                                                                             | पटना स्टेशन को स्वच्छ एवं सुंदर बनाये रखने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। सफाई कार्य में आधुनिक जेट मशीनों का उपयोग भी किया जा रहा है। सफाई कार्य निविदा के आधार पर प्राइवेट एजेंसी से कराया जा रहा है। एजेंसी के कार्य के निरीक्षण के लिए 05 स्वास्थ्य निरीक्षकों को पटना जं. पर प्रतिनियुक्त किया गया है। संबंधित एजेंसी को पश्चिम साईड की ओर सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।                                          |
| 2.9 | पटना जं. के सौन्दर्यीकरण हेतु आसपास की जगहों पर एंटीइंकोचमेंट ड्राईंग चलानी चाहिये। इसके लिए यदि राज्य सरकार से मदद लेनी हो तो ली जानी चाहिये।                                                                                                                                     | अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार कार्यवाही किया जाता है। पटना जंक्शन के टमटम पड़ाव को हटा दिया गया है तथा महावीर मंदिर द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध रेलवे प्रयासरत है और राज्य सरकार से सहयोग मांगा जा रहा है। अस्थायी अतिक्रमण को रोकने हेतु रे.सु.ब./ रे.सु.वि.ब के सदस्यों को तैनात                                                                                                                                                                            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.0 | श्री नित्यानन्द राय ,माननीय विधायक, बिहार विधान सभा, हाजीपुर                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.1 | 15933 / 15934 डिब्रुगढ़-अमृतसर<br>एक्सप्रेस, 12407 / 12408 न्यू<br>जलपाईगुड़ी-अमृतसर कर्मभूमि<br>एक्सप्रेस तथा 19601 / 19602<br>किशनगंज-अजमेर एक्सप्रेस का<br>ठहराव हाजीपुर जंक्शन पर सुनिश्चित<br>करने की कारवाई की जाय ।                                                                                   | गाड़ी सं.15933 / 15934, 12407 / 12408,<br>19601 / 19602 का ठहराव के लिए रेलवे बोर्ड को<br>प्रस्ताव भेजा गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.2 | सोनपुर में निर्माणाधीन डेमु शेड को<br>अतिशीघ्र चालू कराकर उत्तर बिहार<br>में डेमु गाड़ियों का परिचालन<br>सुनिश्चित किया जाय ।                                                                                                                                                                                | निर्माणाधीन डेमु शेड, सोनपुर में सिविल इंजीनियरिंग<br>कार्य (ट्रेक निर्माण कार्य ) पूरा न होने के कारण इसे<br>चालू नहीं किया जा सका है, सम्भावना है कि<br>सितम्बर 2011 तक कार्य पूरा कर चालू किया<br>जायगा।सोनपुर में डी.एम.यू. शेड के निर्माण के बाद<br>उत्तर बिहार में डेमु गाड़ियों का परिचालन सुनिश्चित<br>किया जाएगा ।                                                                                                                                                                   |
| 3.3 | छपरा - मुजफ्फरपुर - सोनपुर -<br>बरौनी - कटिहार तथा छपरा-<br>सोनपुर - हाजीपुर - शाहपुरपटोरी<br>- बरौनी लाइनों के विद्युतीकरण के<br>पश्चात इन लाइनों पर मेमु गाड़ियों<br>का परिचालन सुनिश्चित करने के<br>लिए एक मेमु शेड का निर्माण किया<br>जाय क्योंकि सिर्फ झांझा शेड से मांग<br>पूरा नहीं किया जा सकता है । | छपरा-मुजफ्फरपुर-सोनपुर-बरौनी-कटिहार तथा<br>छपरा-सोनपुर-हाजीपुर- शाहपुर पटोरी-बरौनी<br>लाइनों के विद्युतीकरण के पश्चात इन लाइनों पर मेमु<br>गाड़ियों के परिचालन की सहमति के पश्चात नया<br>मेमूशेड के निर्माण हेतु प्राक्कलन व योजना तैयार की<br>जायेगी जिसके लिए रेलवे बोर्ड की स्वीकृति<br>आवश्यक होगी । इन खंडों के विद्युतीकरण के बाद<br>झांझा शेड वाले मेमु रैकों का परिचालन इस ओर भी<br>किया जाएगा । आवश्यकता पड़ने पर एक नये मेमु<br>शेड के निर्माण का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा जाएगा । |
| 3.4 | दैनिक यात्री गाड़ियों को 18 कोचों से<br>चलाने की अविलम्ब व्यवस्था की जाए<br>ताकि यात्रियों को भेड़-बकरियों की<br>तरह यात्रा करने को मजबूर नहीं<br>होना पड़े ।                                                                                                                                                | वर्तमान में यात्री कोच का काफी अभाव है, इसकी<br>मांग रेलवे बोर्ड से की गई है। उपलब्ध होने पर<br>विचार किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5  | यात्री सुविधा को देखते हुए मुजफ्फरपुर और जोगबनी के बीच एक दैनिक इंटरसिटी गाड़ी चलाने की व्यवस्था की जाय तथा सोनपुर में मेंटेनेंस की व्यवस्था कर इसका विस्तार सोनपुर तक किया जाए ।                   | संसद में आगामी बजट प्रस्तुत किये जाने से पहले नयी ट्रेन के परिचालन से संबंधित प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा जाएगा । इस संबंध में अंतिम निर्णय रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाएगा ।                                                |
| 3.6  | सोनपुर से डिब्रुगढ़ के लिए एक एक्सप्रेस गाड़ी वाया गुवाहाटी चलाया जाय ।                                                                                                                             | सोनपुर में पिट लाइन का एवं स्टेवलिंग लाइन का अभाव है । साथ ही साथ सोनपुर-कटिहार रेल खण्ड का पूर्ण दोहरीकरण नहीं होने के कारण पथ का अभाव है ।                                                                             |
| 3.7  | पटना/राजेन्द्रनगर/पटना सिटी अथवा आस-पास के क्षेत्रों में मेंटेनेंस सुविधा का विस्तार कर नई गाड़ियों का परिचालन देश के उन क्षेत्रों के लिए यहाँ से किया जाए जो अभी तक पटना से सीधे नहीं जुड़े हैं ।  | वर्तमान में पटना/राजेन्द्रनगर (टि.)/दानापुर से देश के लगभग हर महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं । किसी खास स्टेशन/दिशा के लिए ट्रेन की मांग होने पर इसके औचित्य की जाँच कराकर सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है |
| 3.8  | हाजीपुर तथा सोनपुर के बीच बन रहे गंडक रेल पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाकर इसे जल्द चालू किए जाने की व्यवस्था की जाए ताकि अनावश्यक रूप से विलम्ब चलने वाली गाड़ियों के समयपालन में सुधार हो सके । | कार्य प्रगति पर है । आशा है कि जून 2012 तक यह कार्य पूरा हो जाएगा ।                                                                                                                                                      |
| 3.9  | दीघा रेल पुल के निर्माण में तेजी लाई जाए ।                                                                                                                                                          | मुर्गेर तथा पटना रेल सह सड़क पुल का टारगेट तिथि दिसम्बर 2013 है ।                                                                                                                                                        |
| 3.10 | झांझा-मुगलसराय तीसरी लाइन का काम अविलम्ब शुरू किया जाय ताकि दानापुर मंडल में गाड़ियों को सुचारु रूप से चलाया जा सके ।                                                                               | यह कार्य अभी स्वीकृत नहीं है ।                                                                                                                                                                                           |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.11 | हाजीपुर-गुजफरपुर रेलवे लाइन पर ग्राम थाथन में रेलवे फाटक बनायी जाय ।                                                                                                                                                                                         | वाणिज्य विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मंडल द्वारा कार्यवाही की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.12 | हाजीपुर जं. से गुजरने वाली गाड़ी जो देश के प्रमुख शहरों तक जाती है, उसमें एयर कंडीशन कनटेनर, (फल-सब्जी ढोने वाली) की व्यवस्था की जाय ।                                                                                                                       | व्यापारियों द्वारा कभी भी इसकी मांग नहीं की गयी है । मांग होने पर कार्यवाही की जाएगी ।                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.13 | माननीय विधायक महोदय ने कहा कि हाजीपुर में पूर्व मध्य रेल के मुख्यालय होने के कारण और हाजीपुर विधानसभा के प्रतिनिधि होने के कारण जनता की उनसे अधिक अपेक्षाएं रहती है । अतः सुझाव को गंभीरता से लेने की कोशिश करेंगे यदि संभव न हो तो उसकी जानकारी भी दी जाय । | हाजीपुर स्टेशन के सौन्दर्यीकरण और विस्तारीकरण के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं । यहाँ का सर्कुलेटिंग एरिया काफी विस्तृत है । यात्रियों की सुविधा के लिए हाजीपुर स्टेशन पर दो नयी लाईन , दो नये प्लेटफॉर्म और फुट ओवर ब्रीज का विस्तारीकरण तथा सेंकेंड इंट्री का कार्य स्वीकृत है । माननीय विधायक महोदय के सुझाव को यथा संभव महत्व दिया जाता है । |
| 3.14 | डिब्रुगढ़-अमृतसर एक्सप्रेस को हाजीपुर में ठहराव दिया जाय ।                                                                                                                                                                                                   | इस गाड़ी का हाजीपुर स्टेशन पर ठहराव विचाराधीन है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.15 | हाजीपुर सब्जी एवं फल का उत्पादक शहर है । अतः दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई एवं असम जाने वाली प्रमुख गाड़ियों से उक्त स्थानों पर भेजने के लिए कन्टेनर की व्यवस्था की जाय ।                                                                                          | सभी मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में पार्सल लदान हेतु एस. एल.आर. का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त वी.पी.यू. से भी इसे भेजा जा सकता है परंतु व्यापारियों द्वारा कभी भी वी.पी.यू. की मांग नहीं की गयी है ।                                                                                                                                              |
| 3.16 | पटना गंगा रेल-सह-सड़क पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरी किया जाय ।                                                                                                                                                                                      | मुर्गेर तथा पटना रेल सह सड़क पुल का टारगेट तिथि दिसम्बर 2013 है ।                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.17 | हाजीपुर जं. से गुजरने वाली ट्रेन में आरक्षण कोटा बढ़ाया जाय एवं                                                                                                                                                                                              | पी.आर.एस. में किसी स्टेशन के लिए कोटे का प्रावधान नहीं है । यह लोकेशन पर आधारित होने के                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | हाजीपुर से गुजफरपुर के बीच लोकल ट्रेनों की भी संख्या बढ़ाया जाय ।                                                                                                                                                                                                                         | कारण 'पहले आओ पहले पाओ' पर आधारित है । वर्तमान में लाईन क्षमता को देखते हुए निर्धारित गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है ।                                                                                                                                                                         |
| 4.0 | डॉ० अनूप कुमार केडिया                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.1 | गया में कोच इंडिकेशन बोर्ड की व्यवस्था होनी चाहिए । जबतक ऐसा नहीं होता है तबतक एनाउन्सिंग सिस्टम के द्वारा कोचों की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाय ।                                                                                                                                   | गया में कोच इन्डिकेशन बोर्ड लगाने का कार्य प्रगति पर है। यह कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा। इसके बाद ही सिस्टम से कोचों की जानकारी दी जा सकती है । तब तक के लिए एनाउन्सिंग सिस्टम के द्वारा कोचों की जानकारी के लिए कमर्शियल विभाग को सूचित कर दिया गया है।                                     |
| 4.2 | गर्मी का मौसम शुरू हो गया है । यह सुनिश्चित किया जाय कि गया जं. पर जिस समय प्लेफार्म पर ट्रेन रुकती है उस समय पानी के सभी नल चालू रहे ।                                                                                                                                                   | गया जं० पर पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए एक वाल्व मैन की नियुक्ति कर दी गई है। यात्रियों के लिए पीने के पानी का उचित प्रबंध सभी स्टेशनों पर किया गया है । गर्मी के मौसम में गया जं. सहित सभी प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव के समय पानी के सभी नलों को खोलने का प्रबंध किया गया । |
| 4.3 | टीटीई स्टेशन पर गाड़ी रुकने पर कोच के पारा उपलब्ध रहने के लिए निर्देशित है लेकिन इसका गया जं. पर अनुपालन नहीं होता है ।                                                                                                                                                                   | इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जॉचोपरांत दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाती है ।                                                                                                                                                                                                            |
| 4.4 | ईएमयू रैक में टॉयलेट की व्यवस्था पूरे रैक में होनी चाहिए जैसे पटना-गया रूट में तीन-चार घंटे ट्रेनों को समय लगता है खास कर वरिष्ठ नागरिकों को इसके नहीं रहने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर पूरे रैक में सम्भव नहीं हो तो कम से कम एक या दो बोगी में टॉयलेट की व्यवस्था जरूर | रेलवे बोर्ड के नियमानुसार ईएमयू/डीएमयू गाड़ियों में ट्वाइलेट की व्यवस्था नहीं की गयी है क्योंकि ईएमयू/डीएमयू गाड़ियों कम समय में अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुँच जाती है ।                                                                                                                             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | की जाय । यदि ईएमयू रैक में टॉयलेट की व्यवस्था संभव नहीं हो तो कुछ साधारण बोगी लगाई जाय ।                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.5 | रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी स्टेशनों के निरीक्षण हेतु जाते हैं जिसकी सूचना व्यवहारिक तौर पर जेडआरयूसीसी के सदस्यों को नहीं दी जाती है । सदस्यों को सूचना इसलिए जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर बेहतर कार्य प्रणाली एवं यात्री सुविधा के बारे में अधिकारियों को वे बेहतर इनपुट दे सकते हैं । | औचक निरीक्षण होने के कारण समय के अभाव में सूचना सदस्यों को दे पाना संभव प्रतीत नहीं है । फिर भी सदस्यों से आग्रह है कि वे अपने नजदिक के स्टेशन के कर्मचारी/अधिकारी से सम्पर्क में रहे ताकि यह जानकारी मिल सके ।                                                                                |
| 4.6 | सीटीएस का बेहतर ढंग से पालन नहीं हो पाता है । कोंन्ट्रैक्टर को इस बात का निर्देश दिया जाय कि जिस कोच की सफाई कोंन्ट्रैक्टर के कर्मचारी कर लेते हैं तो उसका प्रमाण पत्र उस कोच के टीटीई से प्राप्त कर लिया जाय ।                                                                     | पूर्व मध्य रेल में बरौनी और मुगलसराय स्टेशनों पर यांत्रिक विभाग के पर्यवेक्षक की उपस्थिति में ट्रेनों की सफाई की जाती है । सफाई के बाद रेल यात्रियों से फीडबैक भी लिया जाता है । मुगलसराय में टीटीई की ड्यूटी बदलती है । अतः इस संबंध में ट्रेन/कोच के टीटीई से प्रमाणपत्र लेना संभव नहीं है । |
| 4.7 | चार्ट फाइनल होने के बाद भी ट्रेनों के खुलने से कुछ घंटे पहले मैनुअल रिजर्वेशन टिकट की सुविधा गया स्टेशन पर होनी चाहिए ।                                                                                                                                                             | वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत चार्ट फाइनल होने के बाद ट्रेनों के खुलने से कुछ घंटे पहले मैनुअल आरक्षण प्लेटफॉर्म सं. 1 पर स्थित पाली प्रभारी टीसी द्वारा किये जाते हैं । गया के लिए कम्प्यूटराईज्ड व्यवस्था शुरू करने का कार्य प्रक्रियाधीन है ।                                                 |
| 4.8 | गया एक पर्यटन स्थल है यहाँ पर पर्यटक काफी संख्या में आते एवं जाते हैं, मिलिटरी का ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल खुल रहा है । अतः वहाँ की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न गाड़ियों में कोटे का आवंटन होना                                                        | सभी ट्रेनों के आरक्षित बर्थों का आरक्षण पी.आर.एस. सिस्टम पर उपलब्ध है । इच्छुक व्यक्ति वांछित ट्रेन के मूल लोकेशन या रिमोट लोकेशन पर उपलब्ध बर्थों का उपयोग कर सकते हैं । यात्रियों की सुविधा और उन्हें कंफर्ट टिकट उपलब्ध कराने की रेलवे की प्रतिबद्धता के मद्देनजर वीआईपी कोटा बढ़ाना        |

|           | वाहिये। वहाँ यात्री सुविधा पर ध्यान दिया जाना चाहिये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | संभव नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|-------|---------------|------|-------|---------------|------|-------|---------------|------|-------|-----------|------|-------|-----------|
| 5.0       | श्री कौशलेन्द्र प्रताप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 5.1       | <p>गया एवं वाराणसी एक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है अतः यहाँ यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीधी रेल सेवा की व्यवस्था की जाय। उन्होंने कुछ ट्रेनों का उदाहरण देते हुए कहा कि ट्रेनों की समय-सारणी गया-वाराणसी के बीच यात्रा दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। जैसे 3307, 2875, 8609, 8103, 5109, 3009, 2381, 1046, 3151, इसी तरह गया-मुगलसराय के बीच परिचालित लम्बी दूरी की रेल है अथवा उनकी भी समय-सारणी अनुकूल नहीं है। अतः यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों की सेवा दिन के समय शुरू की जाय।</p> | <p>गया से वाराणसी हेतु पर्याप्त गे./ए. ट्रेने परिचालित है, जो निम्नलिखित हैं:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ट्रेन सं.</th><th>गया में प्रस्थान समय</th><th>परिचालन आवृत्ति</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3307</td><td>01.00</td><td>प्रतिदिन</td></tr> <tr> <td>5109</td><td>04.35</td><td>प्रतिदिन</td></tr> <tr> <td>3009</td><td>05.10</td><td>प्रतिदिन</td></tr> <tr> <td>3151</td><td>21.15</td><td>प्रतिदिन</td></tr> <tr> <td>8103</td><td>04.10</td><td>द्विसाप्ताहिक</td></tr> <tr> <td>2875</td><td>03.15</td><td>त्रैसाप्ताहिक</td></tr> <tr> <td>2381</td><td>14.55</td><td>त्रैसाप्ताहिक</td></tr> <tr> <td>8609</td><td>03.15</td><td>साप्ताहिक</td></tr> <tr> <td>1046</td><td>17.05</td><td>साप्ताहिक</td></tr> </tbody> </table> <p>ये ट्रेने अन्य रेलों से चलकर पू.म.रे. होते हुए अन्य रेलों को जाती है जिनकी सहमति और उनके क्षेत्रों में समय की उपलब्धता के बिना इन ट्रेनों के परिचालनिक समय में परिवर्तन संभव नहीं है।</p> | ट्रेन सं. | गया में प्रस्थान समय | परिचालन आवृत्ति | 3307 | 01.00 | प्रतिदिन | 5109 | 04.35 | प्रतिदिन | 3009 | 05.10 | प्रतिदिन | 3151 | 21.15 | प्रतिदिन | 8103 | 04.10 | द्विसाप्ताहिक | 2875 | 03.15 | त्रैसाप्ताहिक | 2381 | 14.55 | त्रैसाप्ताहिक | 8609 | 03.15 | साप्ताहिक | 1046 | 17.05 | साप्ताहिक |
| ट्रेन सं. | गया में प्रस्थान समय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | परिचालन आवृत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 3307      | 01.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रतिदिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 5109      | 04.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रतिदिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 3009      | 05.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रतिदिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 3151      | 21.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रतिदिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 8103      | 04.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | द्विसाप्ताहिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 2875      | 03.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | त्रैसाप्ताहिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 2381      | 14.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | त्रैसाप्ताहिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 8609      | 03.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | साप्ताहिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 1046      | 17.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | साप्ताहिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 5.2       | <p>बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस के समय को इस तरह से ऐडजस्ट किया जाए कि यह गाड़ी दिन में उपलब्ध हो जिससे ज्यादा-से-ज्यादा यात्री इसका लाभ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>यह गाड़ी पर्यटकों के लिये चलाया गया था। परिचालन का समय रात्रि में रखा गया था ताकि पर्यटक रात्रि में चलकर और सुबह में पहुंचकर दिन भर पर्यटक स्थलों का आनन्द ले सकें।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |

|           | उठा सकें ।                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|-------|---------------|------|-------|---------------|------|-------|---------------|------|-------|-----------|------|-------|-----------|
| 5.3       | गया-कयूल लाईन का दोहरीकरण किया जाए ।                                                                                                                                              | इसके पेट सर्वे का निविदा होने वाली है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 5.4       | गया-कयूल लाईन का विद्युतीकरण किया जाए ।                                                                                                                                           | गया-कयूल लाईन का दोहरीकरण/विद्युतीकरण के कार्य को रेलवे बोर्ड के स्वीकृति के पश्चात किया जायेगा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 5.5       | गया-वाराणसी के बीच कुछ ट्रेनों की समय-सारणी यात्रा के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। जैसे 3307, 2875, 8609, 8103, 5109, 3009, 2381, 1046, 3151. अतः इनके परिचालन समय को बदला जाए । | गया से वाराणसी हेतु पर्याप्त मे./ए. ट्रेनें परिचालित है, जो निम्नलिखित है:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>ट्रेन सं.</th><th>गया में प्रस्थान समय</th><th>परिचालन आवृत्ति</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3307</td><td>01.00</td><td>प्रतिदिन</td></tr> <tr> <td>5109</td><td>04.35</td><td>प्रतिदिन</td></tr> <tr> <td>3009</td><td>05.10</td><td>प्रतिदिन</td></tr> <tr> <td>3151</td><td>21.15</td><td>प्रतिदिन</td></tr> <tr> <td>8103</td><td>04.10</td><td>द्विसाप्ताहिक</td></tr> <tr> <td>2875</td><td>03.15</td><td>त्रिसाप्ताहिक</td></tr> <tr> <td>2381</td><td>14.55</td><td>त्रिसाप्ताहिक</td></tr> <tr> <td>8609</td><td>03.15</td><td>साप्ताहिक</td></tr> <tr> <td>1046</td><td>17.05</td><td>साप्ताहिक</td></tr> </tbody> </table> <p>ये ट्रेनें अन्य रेलों से चलकर पू.म.रे. होते हुए अन्य रेलों को जाती है जिनकी सहमति और उनके क्षेत्रों में समय की उपलब्धता के बिना इन ट्रेनों के परिचालनिक समय में परिवर्तन संभव नहीं है ।</p> | ट्रेन सं. | गया में प्रस्थान समय | परिचालन आवृत्ति | 3307 | 01.00 | प्रतिदिन | 5109 | 04.35 | प्रतिदिन | 3009 | 05.10 | प्रतिदिन | 3151 | 21.15 | प्रतिदिन | 8103 | 04.10 | द्विसाप्ताहिक | 2875 | 03.15 | त्रिसाप्ताहिक | 2381 | 14.55 | त्रिसाप्ताहिक | 8609 | 03.15 | साप्ताहिक | 1046 | 17.05 | साप्ताहिक |
| ट्रेन सं. | गया में प्रस्थान समय                                                                                                                                                              | परिचालन आवृत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 3307      | 01.00                                                                                                                                                                             | प्रतिदिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 5109      | 04.35                                                                                                                                                                             | प्रतिदिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 3009      | 05.10                                                                                                                                                                             | प्रतिदिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 3151      | 21.15                                                                                                                                                                             | प्रतिदिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 8103      | 04.10                                                                                                                                                                             | द्विसाप्ताहिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 2875      | 03.15                                                                                                                                                                             | त्रिसाप्ताहिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 2381      | 14.55                                                                                                                                                                             | त्रिसाप्ताहिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 8609      | 03.15                                                                                                                                                                             | साप्ताहिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 1046      | 17.05                                                                                                                                                                             | साप्ताहिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |
| 5.6       | गया गुड्स शेड में जो लोडिंग एवं                                                                                                                                                   | गया गुड्स शेड में जहाँ लोडिंग एवं अनलोडिंग होती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                      |                 |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |          |      |       |               |      |       |               |      |       |               |      |       |           |      |       |           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>अनलोडिंग होता है वहाँ पर हमलोगों को लोकल पुलिस लेकर काम करवाना पड़ता है । इसलिए अनुरोध है कि यहाँ पर चहारदिवारी, पक्के प्लेटफार्मे, प्रकाश, पर्याप्त शेड्स एवं सुरक्षा की व्यवस्था की जाए । साथ ही अनुरोध है कि यहाँ पर महाप्रबंधक अथवा किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जाए ।</p> | <p>है वहाँ प्रकाश की समुचित व्यवस्था कर दी गयी है । प्रकाश के लिए एक मिनी मास्ट भी उपलब्ध है । गया गुड्स शेड में सुरक्षा हेतु रेसुब बल सदस्यों की तैनाती की जाती है साथ ही लोडिंग एवं अनलोडिंग के समय मेमों पर रेसुब बल सदस्यों को चेकिंग हेतु तैनात किया जाता है ।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.7 | <p>गया रेलवे स्टेशन के बाहरी परिसर बहुत ही अव्यवस्थित है । बस स्टैंड रेलवे की जमीन पर चल रहा है । टैम्पो स्टैंड भी व्यवस्थित नहीं है । गया स्टेशन के आस पास स्थित होटलों की गाड़ियाँ रेलवे परिसर में लगी रहती है । इस ओर ध्यान दिया जाए ।</p>                                                  | <p>गया स्टेशन पर निम्न पार्किंग स्थल आवंटित है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रीमियर पार्किंग</li> <li>2. कार-टैक्सी-बस-रिक्शा स्टैन्ड</li> <li>3. साइकिल/स्कूटर स्टैन्ड</li> <li>4. थ्री-व्हीलर ऑटो स्टैन्ड</li> </ol> <p>उपरोक्त पार्किंग स्थल संवेदक द्वारा परिचालित है । उन्हें वाहनों को सुव्यवस्थित तरीके से रखने का अनुरोध दिया गया है । गया स्टेशन के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में कार्य योजना शीघ्र लागू की जा रही है । गया रेलवे स्टेशन परिसर में विन्धित स्थान पर ही बस स्टैण्ड एवं टैम्पो स्टैण्ड स्थित है इनके द्वारा नियमों की अवहेलना करने पर रेलवे एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की जाती है ।</p> |
| 5.8 | <p>गया रेलवे स्टेशन से मुम्बई, पुणे, अहमदाबाद, बंगलोर एवं सिकंदराबाद के बीच एक-एक गाड़ी चलाई जाए ।</p>                                                                                                                                                                                         | <p>संसद में आगामी बजट प्रस्तुत किये जाने से पहले नयी ट्रेन के परिचालन से संबंधित प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा जाएगा । इस संबंध में अंतिम निर्णय रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाएगा ।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.9 | <p>गया और पटना के बीच चलने वाली ईएमयू गाड़ियों को सफर पूरी करने में तीन-चार घंटे लग जाते हैं इसलिए इसमें शौचालय की व्यवस्था</p>                                                                                                                                                                | <p>रेलवे बोर्ड के नियमानुसार ईएमयू/डीएमयू गाड़ियों में ट्वाइलेट की व्यवस्था नहीं की गयी है क्योंकि ईएमयू/डीएमयू गाड़ियों कम समय में अपने गंतव्य</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | होनी चाहिए ।                                                                                                                | स्टेशन पर पहुँच जाती है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.0 | श्री विनोद कुमार गुप्ता                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.1 | गुवाहाटी-नई दिल्ली राजधानी एक्स. में समस्तीपुर जं. एवं डिवीजन का रोड साईड स्टेशन का आपातकालीन कोटा का प्रावधान होना चाहिए । | गुवाहाटी-नई दिल्ली राजधानी में समस्तीपुर के पीआरएस से टिकट जारी करने का प्रावधान है । मंडल में अधिकतर महत्वपूर्ण गाड़ी के विभिन्न श्रेणियों में आपातकालीन कोटा का प्रावधान है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.2 | निर्धारित समय तालिका में गरीब-नवाज एक्स. का समस्तीपुर में ठहराव होना चाहिए ।                                                | गरीब-नवाज एक्स. भाया समस्तीपुर नहीं चलती है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.3 | न्यू जलपाईगुड़ी-अमृतसर कर्मभूमि एक्स का समस्तीपुर में विशेष कोटा का प्रावधान होना चाहिए ।                                   | वणिज्य विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.4 | समस्तीपुर डिवीजन में DEMU रैक का प्रावधान होना चाहिए ।                                                                      | यॉंत्रिक विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.5 | जयनगर-पटना एवं दरभंगा - सहरसा के बीच प्रतिदिन रात्रि रेल सेवा शुरू होना चाहिए ।                                             | जयनगर-पटना के बीच 13226 इंटरसीटी एक्सप्रेस चलती है जो पर्याप्त है । दरभंगा-सहरसा के बीच साप्ताह में तीन दिन रात्रि सेवा उपलब्ध है । इसके अलावा सहरसा और पटना के बीच राज्य रानी एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया जा चुका है जो दिन में 07.00 बजे सहरसा से खुलकर 11.00 बजे पटना पहुँचेगी और दोपहर में 12.45 बजे पटना से खुलकर 16.45 बजे सहरसा पहुँचेगी । जयनगर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है एवं दरभंगा-सहरसा के बीच त्रैसाप्ताहिक जानकी एक्सप्रेस की रात्री सेवा उपलब्ध है । |
| 6.6 | मुजफ्फरपुर-भागलपुर या दरभंगा-सहरसा के बीच प्रतिदिन रेल सेवा होना चाहिए ।                                                    | मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर के बीच तथा दरभंगा एवं सहरसा के बीच प्रतिदिन रेल सेवा उपलब्ध है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.7 | वर्तमान सोनपुर डिवीजन अंतर्गत पूसा-दलसिंहसराय को समस्तीपुर के अंतर्गत करना चाहिए।                                                                                  | यह नीतिगत मामला है।                                                                                                                                              |
| 6.8 | समस्तीपुर जं. पर मालगोदाम को चालू किया जाए।                                                                                                                        | समस्तीपुर की आवश्यकता की पूर्ति कर्पूरीग्राम स्थित मालगोदाम तथा मुक्तापुर स्थित मालगोदाम से पूरी की जा रही है।                                                   |
| 7.0 | श्री दूर्गेश कुमार राय                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| 7.1 | दलसिंहसराय में आर ओ बी निर्माण के लिए 2012-13 का इंतजार न किया जाए साथ ही बिहार सरकार को भी जल्द से जल्द सहमति हेतु भेजा जाए ताकि शीघ्र आरओबी का निर्माण हो सके।   | यह कार्य पी.डब्ल्यू.पी में प्रस्तावित है, इसके लिए एक साल पहले ही कार्य प्रस्तावित किया जाता है। इस कार्य को योजनाशीर्ष 30 में प्रस्तावित कर दिया गया है।        |
| 7.2 | उजियारपुर स्टेशन पर आरक्षित टिकट हेतु पीआरएस की व्यवस्था की जाए।                                                                                                   | उजियारपुर में वर्तमान में यू.टी.एस. सेवा उपलब्ध है। यहाँ यू.टी.एस. सह पी.आर.एस. लगाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा जा चुका है।                                   |
| 7.3 | वसारिया हॉल्ट में एक और पैसेंजर गाड़ी का ठहराव जल्द से जल्द दी जाए। इसका प्रस्ताव भी मंडल से मुख्यालय भेज दिया गया है।                                             | देन के ठहराव हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।                                                                                                                         |
| 7.4 | सहरसा और खगड़िया के बीच शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी गाड़ी नहीं है इसलिए इसके बीच में एक गाड़ी चलायी जाए।                                                     | सहरसा से खगड़िया के लिए देन संख्या 55565, 12575, 15283 तथा खगड़िया से सहरसा के लिए देन संख्या 14604, 55568, 55556 की सेवा इस अवधि में उपलब्ध है, जो पर्याप्त है। |
| 7.5 | समस्तीपुर - उजियारपुर रेल खंड पर स्टेशन खाली नहीं रहने के कारण गाड़ियों को अटेरन चौक गुमटी पर रोक दिया जाता है, अनुरोध होगा कि ऐसी स्थिति में गाड़ियों को गुमटी के | अपरिहार्य परिचालनिक कारणों से यह स्थिति बनती है। प्रस्ताव पर तकनीकी दृष्टिकोण से विचार किया जाएगा।                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>पहले ही रोका जाए ताकि गुमटी का ऑपरेशन भी चलता रहे और गुमटी बंद रहने के कारण लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना भी न करना पड़े ।</p>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.6 | <p>इंटरसिटी एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से रात 11 बजे खुलती है और भागलपुर पहुँचती है । अनुरोध है कि इस ट्रेन को अगर 05.00 बजे सुबह में मुजफ्फरपुर से खोला जाए तो वह भागलपुर 11.00 बजे पहुँच जायगी और रात भर के सफर से यात्री बच जाएँगे ।</p> | <p>यह गाड़ी पूर्व रेलवे के स्वामित्व में, एवं एक ही रैक से चलती है, समय बदलने के कारण दो रैक की आवश्यकता होगी। जिसके लिये पूर्व रेलवे तैयार नहीं है।</p>                                                                                                                                           |
| 7.7 | <p>गौहाटी-न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया समस्तीपुर चलती है समस्तीपुर में भी इसका एक या दो सीट दिया जाए साथ ही आपातकालीन कोटा भी समस्तीपुर मंडल को एक या दो दिया जाए।</p>                                                          | <p>ट्रेन संख्या 12235 डिब्रुगढ़ टाउन-नई दिल्ली राजधानी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की ट्रेन है । इस ट्रेन में कोटा का निर्धारण पू.म.रे. द्वारा किया जाना संभव नहीं है । फिर भी इस संबंध में यह प्रस्ताव पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को भेजा जाएगा ।</p>                                                    |
| 7.8 | <p>अंगार घाट स्टेशन के पश्चिम रेलवे की पुरानी केबिन थी इस केबिन को बड़ी लाईन बनने के कारण हटा दिया गया लेकिन यहाँ पर रोड की स्थिति बहुत खराब है इसको बनवाया जाए ।</p>                                                                 | <p>कार्य का निविदा स्वीकृत है। कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा।</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.9 | <p>पटोरी स्टेशन परिसर में कर्पूरी ठाकुर के नाम से एक पार्क है यह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इसका जिर्णोद्धार करवाया जाए।</p>                                                                                                          | <p>वर्तमान में कर्पूरी पार्क के चारों ओर कम उंचाई वाले दीवाल पर ग्रील लगाकर फेंसिंग किया हुआ है। परंतु यह व्यवस्था पुरानी है। जंग इत्यादि लगने की वजह से छतिग्रस्त दशा में है इसे हटाकर चाहरदीवारी सुधार करने का कार्य, अभी स्टेशन पर चल रहे अन्य यात्री सुविधा कार्यों के अंतर्गत ही करा लिया</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                               | जायगा।                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.10 | समस्तीपुर स्टेशन चौक पर राष्ट्रपिता गान्धीजी का स्मारक है। इसमें बिजली का कनेक्शन दिया जाए।                                                                                                                                   | राष्ट्रपिता गान्धीजी का स्मारक रेलवे परिसर से बाहर है। अतः नियमानुसार यहाँ पर बि.रा.वि.बोर्ड से बिजली का कनेक्शन लेना हितकर होगा।                                                                                                                                     |
| 7.11 | समस्तीपुर स्टेशन कारखाना गेट साईड एक बुकिंग काउन्टर है जो सुबह 08.00 बजे से शाम 08.00 बजे तक खुला रहता है और भीड़ बहुत रहती है। अनुरोध है कि यहाँ पर दो बुकिंग काउन्टर दिया जाए।                                              | समस्तीपुर स्टेशन कारखाना गेट साईड पर उपलब्ध टिकट काउन्टर पर प्रतिदिन 700 से 800 टिकटों की बिक्री होती है। अतिरिक्त टिकट काउन्टर स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।                                                                                    |
| 7.12 | समस्तीपुर स्टेशन परिसर पहुँचने के लिए रेलवे की जो सड़कें हैं इन्हें बनवायी जाए।                                                                                                                                               | मालगोदाम चौक से लेवल कासिंग सं०-50 डी तक की सड़क रेलवे परिक्षेत्र में पड़ता है जिसे बनाया जा रहा है। मालगोदान चौक से बन्द गुमटी सं० 52(विशेष) पैदल उपरिगामि पुल तक की सड़क बिहार सरकार के परिक्षेत्र में आता है। जिसे बनाया जाना बिहार सरकार के प्राधिकार में आता है। |
| 8.0  | श्री विद्यासागर                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.1  | कोई भी माननीय सदस्य यदि कोई पत्र रेलवे प्रशासन को लिखें तो उसका जवाब भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए।                                                                                                                         | माननीय सदस्यों द्वारा लिखे गये पत्रों पर मंडल एवं मुख्यालय स्तर पर कार्यवाही की जाती है तथा उन्हें जवाब भेजा जाता है। आगे भी इसे सुनिश्चित किया जायेगा।                                                                                                               |
| 8.2  | दानापुर रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर पर बुकिंग काउन्टर यथाशीघ्र खोलने की व्यवस्था की जाए। दानापुर स्टेशन पर एक दर्जन गाड़ी के ठहराव की विज्ञप्ति छपी थी परन्तु ठहराव नहीं हुआ। अतः एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव शीघ्र दिया जाय। | दानापुर स्टेशन के दक्षिणी छोर पर बुकिंग काउन्टर के औचित्य की समीक्षा करायी जा रही है। गाड़ियों के ठहराव पर निर्णय रेलवे बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आता है।                                                                                                            |
| 8.3  | दानापुर रेलवे स्टेशन का जो                                                                                                                                                                                                    | पुराने एफओबी के जगह नये एफओबी का कार्य                                                                                                                                                                                                                                |

|      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ओगरब्रिज है वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं इसकी मरम्मत करवायी जाए ।                                                                                                         | स्वीकृत है और कार्य प्रारंभ भी हो चुका है ।                                                                                                                             |
| 8.4  | सीजन टिकट को 10 दिन पूर्व नवीकरण करने की व्यवस्था अभी तक लागू नहीं हो पायी है इसे सभी मंडलों में शीघ्र लागू किया जाए ।                                                     | इस संबंध में सभी स्टेशनों को आवश्यक निर्देश दिया गया है । यदि किसी खास स्टेशन द्वारा यदि निर्देश का उचित पालन नहीं हो रहा है तो अवगत कराने पर उचित कार्यवाही की जाएगी । |
| 8.5  | पटना जं० एवं दानापुर जंक्शन पर उद्घोषणा प्रणाली में सुधार किया जाए । कौन-सी गाड़ी पहले खुलेगी और कौन से प्लेटफार्म से इसकी जानकारी उद्घोषणा प्रणाली द्वारा लगातार दी जाए । | उद्घोषणा प्रणाली के बेहतर कार्य करने के मामले पर हमेशा नजर रखी जाती है । स्टेशन के प्लेटफार्म से गाड़ियों के खुलने की उद्घोषणा समय से की जाती है ।                      |
| 8.6  | पटना जंक्शन पर 11.00 बजे दिन से 04.00 बजे शाम तक नल का पानी बंद रहता है इस ओर ध्यान दिया जाए ।                                                                             | पटना जं० पर पानी की कोई समस्या नहीं है । फिर भी इस पर ध्यान दिया जा रहा है ।                                                                                            |
| 8.7  | पटना जं० पर प्लेटफार्म संख्या 10 बनकर तैयार है इसे शीघ्र चालू करवाया जाए ।                                                                                                 | प्लेटफार्म सं० 10 आर आर आई कार्य के साथ इस वर्ष चालू होनी है ।                                                                                                          |
| 8.8  | पटना साहिब स्टेशन परिसर की सड़के बहुत ही जर्जर हालात में हैं इन्हें शीघ्र मरम्मत करवाई जाए ।                                                                               | रोड मरम्मत का कार्य जल्द ही प्रारंभ कर दिया जायेगा ।                                                                                                                    |
| 8.9  | आरा-सासाराम, फतुहा-इस्लामपुर, कियूल-गया एवं बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेल खंड का विद्युतीकरण शीघ्र करवाया जाए ।                                                            | आरा-सासाराम, फतुहा-इस्लामपुर, कियूल-गया एवं बख्तियारपुर-राजगीर लाईन का दोहरीकरण / विद्युतीकरण के कार्य को रेलवे बोर्ड के स्वीकृति के पश्चात किया जायेगा ।               |
| 8.10 | मोकामा-पटना-बक्सर रेल खंड पर तीसरे रेल खंड की व्यवस्था की जाए ।                                                                                                            | इसके पेट सर्वे का रिटेन्डर हो रहा है क्योंकि पुराना संवेदक कार्य पुरा नहीं कर पाया ।                                                                                    |

|      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.11 | कियूल-गया रेल खंड का दोहरीकरण करवाया जाए ।                                                                                                                                         | पेट सर्वे के लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8.12 | खुसरूपुर रेलवे स्टेशन के डाउन प्लेटफार्म पर एक अतिरिक्त रेल लाईन बिछायी जा रही है इसे शीघ्र पूरा करवाया जाए क्योंकि इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है ।                          | खुसरूपुर में अतिरिक्त लाईन बिछाने का कार्य शीघ्र पूरा करने का प्रयास जारी है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.13 | बक्सर-पटना, पटना-झाड़ा एवं पटना-गया रेल खंडों पर मेमू गाड़ी बढ़ाया जाए ।                                                                                                           | बक्सर-पटना, पटना-झाड़ा एवं पटना-गया रेल खंडों पर चलने वाली विभिन्न गाड़ियों में सर्वे किया गया है जिससे पता चला है कि अनेक गाड़ियों में काफी भीड़ है । नयी मेमू गाड़ियों के चलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । संसद में आगामी बजट प्रस्तुत किये जाने से पहले नयी ट्रेन के परिचालन से संबंधित प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा जाएगा । इस संबंध में अंतिम निर्णय रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाएगा । |
| 8.14 | मेमू गाड़ियों को 16 डिब्बों का चलाया जाना स्वीकृत है लेकिन वर्तमान में यह 12 डिब्बों का चलाया जा रहा है । इसके कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है । इसको 16 डिब्बों का किया जाए । | सामान्यतः यह गाड़ी 16 डिब्बों से चलता है। विशेष परिस्थिति में डैमेज होने पर ही 12 डिब्बों से चलती है।                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.15 | सुपौल रेलवे स्टेशन पर एक ही विश्रामालय है जो गंदा रहता है । यहाँ पर नया विश्रामालय बनवाया जाए ।                                                                                    | सुपौल रेलवे स्टेशन पर एक ही विश्रामालय है जिसकी उपयोगिता नगण्य है । अतः दूसरा विश्रामालय बनाने का औचित्य नहीं बनता है । इस विश्रामालय की साफ-सफाई एवं उचित रख-रखाव के लिए निर्देश दिये गये हैं ।                                                                                                                                                                                       |
| 8.16 | सुपौल के प्लेटफार्म का मरम्मत करवाया जाए ।                                                                                                                                         | संबंधित सहायक इंजी० को निर्देशित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.17 | सुपौल के प्लेटफार्म पर शेड लगवाया                                                                                                                                                  | सुपौल में शेड उपलब्ध है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | जाए ।                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.18 | सहरसा में भी केवल दो ही विश्रामालय है इसे बढ़ाया जाए ।                                                                                                                                                                                                                              | न्यूनतम यात्री सुविधा के अनुरूप विश्रामालय पर्याप्त है । सहरसा में अवस्थित दोनो विश्रामालयों की उपयोगिता 50 प्रतिशत से भी कम है । इसलिए अतिरिक्त विश्रामालय का औचित्य नहीं बनता है ।                                                                                                                                   |
| 8.19 | सहरसा से पटना के लिए दिन में 10.00 बजे एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाए ।                                                                                                                                                                                                                | सहरसा-पटना के लिए 02 एक्सप्रेस गाड़ी दिन में 5.10 एवं 12.50 बजे खुलती है । एक नयी राज्य रानी एक्सप्रेस का परिचालन भी शीघ्र ही चालू किया जाएगा जो दिन में 07.00 बजे सहरसा से खुलकर 11.00 बजे पटना पहुँचेगी और दोपहर में 12.45 बजे पटना से खुलकर 16.45 बजे सहरसा पहुँचेगी ।                                              |
| 9.0  | श्री कुमुद वर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.1  | रेलवे द्वारा गर्मी के समय, पूजा के समय, एवं परीक्षा के समय बहुत सारी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाता है जिसका आगमन एवं प्रस्थान का समय पैसेंजर को पता नहीं रहता है। अतः स्पेशल ट्रेनों के मूवमेंट के जानकारी के लिए integrated railway inquiry system 139 से लिंक कर दिया जाय । | समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से यात्रियों को विशेष गाड़ियों के परिचालन की सूचना दी जाती है । स्पेशल ट्रेनों के संचालन की सूचना 139 पर उपलब्ध कराये जाने के सुझाव के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है ।                                                                                                            |
| 9.2  | रेलवे कालोनियों की हालत बहुत खराब है। उसके रोड के हालत दयनीय है, बिजली की समस्या है एवं साफ-सफाई की समस्या केवल रेलवे कॉलोनी ही नहीं बल्कि रेलवे प्लेटफार्म एरिया एवं स्टेशन परिसर आदि जगहों पर है अतः इसकी सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।                                  | सभी स्टेशनों की साफ-सफाई की समीक्षा समय-समय पर की जाती है और आवश्यकतानुसार उचित कदम उठाये जाते हैं । झारखंड स्टेट इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड द्वारा बिजली सप्लाई अनियमित है यद्यपि रेलवे कालोनियों में एरट्रीट लाईट उपलब्ध है । झारखंड स्टेट इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड द्वारा बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया गया है । |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.3 | इनक्रोचमेंट पटना एवं दानापुर स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में काफी बढ़ गया है जैसे पोर्टिको एवं पीआरएस के पास । अतः इसे अविलम्ब दूर किया जाना चाहिये।                                                                                                                                                                                      | पटना जं० एवं दानापुर का अतिक्रमण समय समय पर विशेष अभियान चलाकर हटाया जा रहा है। पटना एवं दानापुर के सर्कुलेटिंग एरिया में पोर्टिको एवं पीआरएस के पास कोई स्थायी इन्क्रोचमेंट नहीं है अस्थायी इन्क्रोचमेंट के विरुद्ध औचक एवं एन्टी इन्क्रोचमेंट ड्राइव चलाकर गिरफ्तारी कर रेलवे एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्यवाई की जाती है। |
| 9.4 | दानापुर स्टेशन एवं रेलवे कॉलोनीयों से होकर एन.एच-30 गुजरती है जिसके कारण वहाँ कई बार दुर्घटनाएँ हुई हैं एवं इसकी बराबर आशंकाएँ बनी रहती है, ट्रक, बस एवं अन्य गाड़ियों के लगातार मूवमेंट के कारण धूल एवं धूँओं से वायु प्रदूषण की समस्या रहती है। अतः बिहार सरकार से बात कर के एन.एच. को डाइवर्ट कर खगौल कैनाल रोड से कनेक्ट कर दिया जाय। | बिहार सरकार से वार्ता हो रही है। रोड मरम्मत का कार्य जल्द प्रारंभ होगा। रोड पर स्पीड ब्रेकर भी लगा दिया गया है।                                                                                                                                                                                                             |
| 9.5 | दानापुर स्टेशन पर कोच इंडिकेशन बोर्ड लगाना चाहिये एवं यहाँ पैसेंजर एग्जिट की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये।                                                                                                                                                                                                                                   | दानापुर स्टेशन में कोच इंडिकेशन बोर्ड लगाने की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, विश्रामालय तथा प्रतीक्षालय और अतिविशिष्ट कक्ष के सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।                                                                                   |
| 9.6 | पटना जं. के करबिगहिया साईड में एक पीआरएस चालू किया जाना चाहिये ताकि कंकड़बाग इलाके के लोगों को एवं साथ ही खासकर वरिष्ठ नागरिकों को रिजर्वेशन टिकट प्राप्त करने में सुविधा हो जबकि करबिगहिया साईड में यूटीएस काम कर रहा है।                                                                                                                | पटना जं. के करबिगहिया छोर में पी.आर.एस. का 02 काउण्टर चलाया जा रहा है।                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.7  | पटना जं. को साफ-सफाई राउन्ड द क्लोक होना चाहिये चूँकि पटना जं. —ए— क्लास श्रेणी में आता है अतः इसकी सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय । यहाँ प्लेटफार्म सं. 10 है इसलिए प्लेटफार्म सं. 1 के अलावे बाकी प्लेटफार्म एवं फुटओवर ब्रीज की सफाई पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। | पटना जं. पर राउन्ड द क्लॉक सफाई की व्यवस्था की गयी है । सफाई कार्य में आधुनिक जेट मशीनों का उपयोग भी किया जा रहा है । सफाई कार्य निविदा के आधार पर प्राइवेट एजेंसी से कराया जा रहा है । एजेंसी के कार्य के निरीक्षण के लिए 05 स्वस्थ निरीक्षकों को पटना जं. पर प्रतिनियुक्त किया गया है । संबंधित एजेंसी को पश्चिम साईड की ओर सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये हैं । |
| 10.0 | श्री विक्रम पाण्डेय                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.1 | धनबाद मंडल में जो जरंगडीह स्टेशन है वहाँ शक्तिपुंज एक्सप्रेस जो हाबड़ा से चलती है उसका ठहराव दिया जाए ।                                                                                                                                                            | जारंगडीह स्टेशन 'ई' श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत है जहाँ औसत दैनिक यात्री संख्या करीब 270 है । इस आलोक में इस स्टेशन पर शक्तिपुंज एक्स. के ठहराव का औचित्य नहीं बनता है । वैसे इस ट्रेन का ठहराव बेरमा एवं बोकारोथर्मल स्टेशन पर दिया गया है जो यहाँ से क्रमशः 04 एवं 05 कि.मी. की दूरी पर है ।                                                                                             |
| 10.2 | फुसरो स्टेशन पर जो पीआरएस है वह रविवार को भी चालू किया जाए ।                                                                                                                                                                                                       | फुसरो स्टेशन के पी.आर.एस. में औसत दैनिक मांग पर्वी एवं स्थापना लागत को देखते हुए रविवार को इसे खोले जाने का कोई औचित्य नहीं है ।                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.3 | रेल बजट में गोमो-बरकाकाना रेल खंड के फुसरो स्टेशन को आदर्श स्टेशन घोषित किया गया है, अनुरोध है कि एक आदर्श स्टेशन पर जो-जो सुविधाएँ होनी चाहिए उसकी यथाशीघ्र व्यवस्था की जाए ।                                                                                     | फुसरो स्टेशन को आदर्श स्टेशन के लिए वांछित यात्री सुविधाएँ शीघ्र उपलब्ध करायी जा रही है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.4 | 19605-19606 कोलकाता-अजमेर एक्सप्रेस का ठहराव फुसरो स्टेशन पर किया जाए ।                                                                                                                                                                                            | फुसरो स्टेशन पूर्व में 'ई' श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत था जो स्टेशन वर्गीकरण हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नये मानक के आलोक में यह 'डी' श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत हुआ है जहाँ औसत दैनिक यात्री संख्या करीब 530 है । इस आलोक में यहाँ इस ट्रेन के                                                                                                                                          |

|      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                         | निर्णय लिया जाएगा ।                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.0 | श्री आर० यू० सिंह                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.1 | जमानियों रेलवे स्टेशन के डाउन प्लेटफार्म पर एक चापाकल है लेकिन अप प्लेटफार्म पर एक भी चापाकल नहीं है । इसकी व्यवस्था की जाए ।           | जमानियों रेलवे स्टेशन के अप प्लेटफार्म पर 01 चापाकल है तथा डाउन प्लेटफार्म पर फिलहाल एक भी चापाकल नहीं है । निर्धारित माप दंड के अनुरूप पेयजल की व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।                                             |
| 11.2 | जमानियों रेलवे स्टेशन पर एक वाटर टावर है लेकिन वह चालू नहीं है । इसे चालू करवाया जाए ।                                                  | जमानियां रेलवे स्टेशन पर वाटर टावर अभी चालू हालत में है अप प्लेटफार्म पर छः नल और डाउन प्लेटफार्म पर चार नल की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त एक हैंड पंप भी है ।                                                                               |
| 11.3 | जमानियों रेलवे स्टेशन के शौचालयों की स्थिति दयनीय है, गंदगी व्याप्त है । इस ओर ध्यान दिया जाए ।                                         | जमानियों स्टेशन पर सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए निजी एजेंसी को सौंपा गया है । पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी स्टेशन प्रबंधक को दी गयी है । यदि निजी एजेंसी के द्वारा कार्य बेहतर ढंग से नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी । |
| 11.4 | जमानियों में एक अतिरिक्त फुटओवर ब्रिज बनवाया जाए ।                                                                                      | जमानियां में अतिरिक्त फुटओवर ब्रिज का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है । इस प्रस्ताव का औचित्य नहीं बनता है ।                                                                                                                                        |
| 11.5 | जमानियों रेलवे स्टेशन के उत्तरी एवं दक्षिणी छोर पर बहुत अतिक्रमण किया हुआ है । अतिक्रमण हटा कर इस स्टेशन को व्यवस्थित किया जा सकता है । | अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है ।                                                                                                                                                                                         |
| 11.6 | महाप्रबंधक महोदय से अनुरोध है कि एक बार जमानियों स्टेशन का निरीक्षण करें ।                                                              | इस पर विचार किया जाएगा ।                                                                                                                                                                                                                     |
| 11.7 | जमानियों स्टेशन पर कुछ सुपर फास्ट एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए                                                                           | जमानियों स्टेशन पर वर्तमान में 13007/08, 13201/02, 13049/50, 13005/06, 13483/84,                                                                                                                                                             |

|       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                   | ठहराव का औचित्य नहीं बनता है । इस ट्रेन का ठहराव धनबाद और बरकाकाना में दिया गया है । गाड़ी सं.19605/19606 कोलकाता-अजमेर एक्सप्रेस का फुसरो स्टेशन पर ठहराव के लिये रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा गया है ।                                   |
| 10.5  | 0585ए-0586ए हटिया-जयनगर एक्सप्रेस का ठहराव चन्द्रपुरा स्टेशन पर किया जाए ।                        | इस ट्रेन के ठहराव के औचित्य की समीक्षा करायी जा रही है ।                                                                                                                                                                               |
| 10.6  | गोमो एवं मतारी के बीच रामाकुंडा में हॉल्ट का निर्माण करवाया जाए ।                                 | धनबाद मंडल के अंतर्गत गोमो एवं मतारी स्टेशनों के बीच रामाकुंडा आईबीपी हॉल्ट स्टेशन खोलने संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु रेलवे बोर्ड को भेजा गया था जिसे रेलवे बोर्ड ने व्यवहारिक नहीं पाया ।                                            |
| 10.7  | बोकारो थर्मल-गोमिया के बीच स्वांग में हॉल्ट का निर्माण करवाया जाए ।                               | धनबाद मंडल में प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है ।                                                                                                                                                                                      |
| 10.8  | अगलो ब्लॉक हॉल्ट पर प्लेटफॉर्म एवं शेड का निर्माण करवाया जाए ।                                    | इन सारे मदों में कार्य स्वीकृति की आवश्यकता है ।                                                                                                                                                                                       |
| 10.9  | अगलो ब्लॉक हॉल्ट पर उत्तरी-दक्षिणी छोर को जोड़ते हुए उपरिगामी पैदल पार पथ का निर्माण करवाया जाए । | इन सारे मदों में कार्य स्वीकृति की आवश्यकता है ।                                                                                                                                                                                       |
| 10.10 | 12365-12366 राँची-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव चन्द्रपुरा स्टेशन पर किया जाए ।               | प्रस्ताव के औचित्य की जाँच करायी जा रही है । जाँचोंपरांत प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड भेजे जाने संबंधी निर्णय लिया जाएगा ।                                                                                                                  |
| 10.11 | बरकाकाना-आसनसोल के बीच ईएमयू चलाया जाए ।                                                          | बरकाकाना-आसनसोल की दूरी 177 कि.मी. है । लेकिन इस रूट के अनेक स्टेशनों का प्लेटफॉर्म नीचा है और यह रूट मुख्यतः ग्रामीण इलाके में है । प्रस्ताव के औचित्य की जाँच करायी जा रही है । जाँचोंपरांत प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड भेजे जाने संबंधी |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13413 / 14, 13111 / 12, 13039 / 40, 13133 / 34 तथा 12401 / 02 एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव दिया गया है । अतिरिक्त मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव के औचित्य की जाँच की जा रही है ।                                         |
| 11.8 | जमानिया रेलवे स्टेशन पर निम्नलिखित गाड़ियों के ठहराव नहीं होने के कारण अक्सर चेनपुलिंग की घटना होती रहती है । चूँकि जमानिया एक महत्वपूर्ण स्टेशन है । अतः निम्नलिखित गाड़ियों में से कम से कम 04 गाड़ियों का ठहराव दिया जाय ताकि यात्रियों को सुविधा हो एवं रेल राजस्व में वृद्धि हो सके ।<br><br>गाड़ी संख्या 13237 / 13238, 13239 / 13240, 12791 / 12792, 12391 / 12392, 12335 / 12336, 15645 / 15646, 15647 / 15648, 19047 / 19048, 14055 / 14056 एवं 12487 / 12488 | चेन पुलिंग कर गाड़ियों को रोकना अपराध है इससे दानापुर मंडल में गाड़ियों के समय पालन पर असर पड़ता है और यात्रियों को काफी परेशानी होती है । तदपि अतिरिक्त मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव के औचित्य की जाँच की जा रही है । |
| 12.0 | मो. कादिर हुसैन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.1 | एलेप्पी एक्सप्रेस में यात्री कोचों की संख्या बढ़ायी जाए ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | यह गाड़ी 18189 / 18190 के साथ मिलकर अधिकतम मार से चलती है ।                                                                                                                                                               |
| 12.2 | एलेप्पी एक्सप्रेस की तरह ही एक और ट्रेन चलायी जाए ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | इस प्रस्ताव पर अन्तर रेलवे समय सारणी बैठक में विचार विमर्श किया गया परन्तु रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृति नहीं मिली ।                                                                                                        |
| 12.3 | धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 07 के बाद दक्षिण की तरफ वाला प्लेटफार्म को मरम्मत करके सुंदर बनाया जाए ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | यह कार्य स्वीकृत है । निविदा फाईनल होने की स्थिति में है ।                                                                                                                                                                |

|       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.4  | धनबाद रेलवे अस्पताल में चिकित्सकों की कमी है । इसे दूर किया जाए ।             | धनबाद रेलवे अस्पताल में जितने पद स्वीकृत हैं उनके विरुद्ध चिकित्सक पदस्थापित हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों को Honorary visiting specialist के रूप में लेने की कोशिश की जा रही है।                                                                                                                                                                                                |
| 12.5  | धनबाद रेलवे अस्पताल में आधारभूत संरचनाओं की कमी है इसे दूर किया जाए ।         | मुचिधि/धनबाद को इन कमियों को चिन्हित कर आवश्यक प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश दिये गये हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.6  | निधितपुर हॉल्ट को स्टेशन में परिवर्तित किया जाए एवं वहाँ ओवरब्रिज बनाया जाए । | निधितपुर हॉल्ट के टिकट बिक्री के आकड़े के आलोक में इस प्रस्ताव का औचित्य नहीं बनता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12.7  | मुगलसराय से हाबड़ा के लिए वाया गया एक लिंक ट्रेन चलायी जाए ।                  | संसद में आगामी बजट प्रस्तुत किये जाने से पहले नयी ट्रेन के परिचालन से संबंधित प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा जाएगा । इस संबंध में अंतिम निर्णय रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाएगा ।                                                                                                                                                                                                   |
| 12.8  | सभी सदस्यों को रेल भवन जाने के लिए पास की सुविधा दी जाए ।                     | यह एक नीतीगत मामला है इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा अभी कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.9  | धनबाद से मध्य प्रदेश राज्य के रूट से बम्बई के लिए एक गाड़ी चलायी जाए ।        | इस प्रस्ताव पर अन्तर्गत समय-सारणी सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया परन्तु रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृति नहीं मिली।                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.10 | दरभंगा-बंगलौर वाया धनबाद एक ट्रेन चलायी जाए ।                                 | दरभंगा से बंगलौर के लिए साप्ताहिक एक्सप्रेस सेवा मौजूद है । दरभंगा से हैदराबाद के लिए वाया धनबाद-राँची नयी साप्ताहिक गाड़ी प्रारंभ की गयी है जो प्रत्येक रविवार को दरभंगा से 07.00 बजे खुलती है । संसद में आगामी बजट प्रस्तुत किये जाने से पहले नयी ट्रेन के परिचालन से संबंधित प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा जाएगा । इस संबंध में अंतिम निर्णय रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाएगा । |
| 12.11 | धनबाद स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 7 पर ओवर ब्रिज आधा बनाया गया है             | प्लेटफार्म नं० 6 से 7 तक ओवर ब्रिज बनाने का काम प्रगति पर है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | जबकी दक्षिण छोर पर पूरा ना है इसलिए इसे पूरा बनाया जाय ।                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12.12 | धनबाद स्टेशन पर कार-टैक्सी के पड़ाव में सुधार की जरूरत है ।                                                                                                  | धनबाद स्टेशन के कार-टैक्सी पड़ाव पर भाड़े वाले वाहनों तथा आरक्षण कार्यालय के निकट निजी वाहनों के स्टैंड बनाने पर विचार किया जा रहा है ।                                                                                           |
| 12.13 | धनबाद स्टेशन पर पेय जल में सुधार की आवश्यकता है ।                                                                                                            | इसके लिए निविदा खुल चुका है निविदा फाईनल होने के बाद कार्य पूरा कर लिया जायेगा ।                                                                                                                                                  |
| 12.14 | एलेप्पी एक्सप्रेस को धनबाद से ही चलाया जाय । इसमें लिंक नहीं किया जाय । टाटा स्टेशन से एक अलग ट्रेन होना चाहिए ।                                             | इस प्रस्ताव पर अन्तर्गत समय-सारणी सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया परन्तु रेलवे बोर्ड द्वारा सहमति नहीं मिली ।                                                                                                                   |
| 12.15 | स्लीपर श्रेणी एवं सामान्य बोगी में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है ।                                                                                           | कार्य प्रगति पर है ।                                                                                                                                                                                                              |
| 12.16 | शक्तिपूज एक्सप्रेस में धनबाद से भोपाल तक सुरक्षा की व्यवस्था की जरूरत है ।                                                                                   | वर्तमान में सुरक्षा बल सदस्यों की कमी के कारण शक्तिपूज एक्सप्रेस में एक ही बल सदस्य को वीपी/एसएलआर की सुरक्षा हेतु तैनात किया जाता है । बल सदस्यों की उपलब्धता हो जाने पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु बल सदस्यों को तैनात किया जायेगा । |
| 12.17 | जिस मार्ग से शक्तिपूज एक्सप्रेस चलती है उसी मार्ग से एक नई ट्रेन धनबाद से मुम्बई तक चलायी जाय ।                                                              | इस प्रस्ताव पर अन्तर्गत समय-सारणी सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया परन्तु रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ ।                                                                                                          |
| 12.18 | धनबाद से सिकन्दराबाद/हैदराबाद/कच्चीगुड्डा, बंगलुरु, नई दिल्ली/हजरत निजामुद्दीन, मुम्बई/गोवा, गुवाहाटी (असम) के लिए नई ट्रेनों की आवश्यकता है इसे चलाया जाय । | इस प्रस्ताव पर अन्तर्गत समय-सारणी सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया परन्तु रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ ।                                                                                                          |
| 12.19 | धनबाद से बरकाकाना के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाया जाय ।                                                                                                      | इस प्रस्ताव के अन्तर्गत समय-सारणी सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया परन्तु रेलवे बोर्ड द्वारा                                                                                                                                     |

|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                     | अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12.20 | धनबाद रेलवे अस्पताल में अच्छे डॉक्टर की कमी है साथ ही इलाज के लिए जॉय का इक्विपमेंट की कमी है उसे वहाँ आपूर्ति की जाय एवं दवा की भी आपूर्ति की जाय । इसमें बहुत सुधार की जरूरत है । | धनबाद मंडल में UPSC द्वारा चयनित अधिकारी चिकित्सक हैं एवं इनकी गुणवत्ता संघ लोक सेवा आयोग द्वारा टेस्टेड है। Equipment एवं दवा खरीद की प्रक्रिया चल रही है।                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.21 | गोमो में ओवर ब्रिज की आवश्यकता है ।                                                                                                                                                 | यह कार्य लेवल कासिंग सं. 9 में स्वीकृत है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12.22 | मतारी में ओवर ब्रिज एवं प्लेटफार्म की आवश्यकता है ।                                                                                                                                 | प्लेटफार्म सं. 2 का उच्चीकरण का कार्य स्वीकृत है एवं फुट ओवर ब्रिज का कार्य स्वीकृत नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12.23 | निचितपुर को स्टेशन में परिवर्तन होना चाहिए ।                                                                                                                                        | निचितपुर हॉल्ट पर सभी न्यूनतम यात्री सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयी है जिसमें प्रकाश भी है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12.24 | धनबाद से बोकारो-राँची के लिए ट्रेन में बाधा (कोलयरी के आग लगने से) को दूर किया जाय ।                                                                                                | इस पर विचार किया जा रहा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.25 | निचितपुर हॉल्ट से चन्द्रपुरा होकर एक नई रेल ट्रेक की आवश्यकता है इस पर विचार हो एवं अध्ययन किया जाय ।                                                                               | इसके लिए परिचालन सर्वेक्षण की आवश्यकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12.26 | लोको पायलट की कमी है इसे दूर करने की जरूरत है ।                                                                                                                                     | पूर्व मध्य रेल के यांत्रिक लोको पायलट (डीजल) संवर्ग में कुल 3582 पद स्वीकृत है जिसके विरुद्ध कुल 2657 क्यू (Crew) कार्यरत है। सम्प्रति, रेलवे भर्ती बोर्ड, राँची द्वारा 125 सलोपा (डीजल) जल्द ही उपलब्ध हो जायगा। इसके अतिरिक्त रेलवे भर्ती बोर्ड, मुजफ्फरपुर द्वारा 352 सलोपा (डीजल) का अभिरुचि परिक्षा (Aptitude test) की प्रक्रिया चल रही है जिसके फलस्वरूप लोको पायलट की कमी को बहुत हद तक पूरी की जा सकेगी। शेष रिक्त पदों को भरने |

|       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                   | के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड को कार्मिक शाखा द्वारा मांग पत्र भेजी जा रही है। विद्युत विभाग द्वारा सहायक लोको पायलटों के रिक्त पदों के विरुद्ध 1050 सहायक लोको पायलटों के नियुक्ति के लिए (RRB/Patna = 431 and RRB/RNC = 619) मांग दिया जा चुका है। चयन की प्रक्रिया के पश्चात इन पदों को भरने की कारवाई जारी है। |
| 12.27 | अलीगढ़ मार्ग से जितनी भी गरीबरथ एक्सप्रेस चलती है उसका अलीगढ़ स्टेशन पर ठहराव दिया जाय।                                                                                                           | अलीगढ़ स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे में है। इस स्टेशन पर गरीबरथ एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव के संबंध में निर्णय एनसीआर के प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।                                                                                                                                               |
| 12.28 | पूर्वा एक्सप्रेस जो पहले प्रतिदिन धनबाद होकर हावड़ा से दिल्ली तक चलती थी अब सप्ताह में चार दिन पटना होकर चलती है उसे पूर्ववत् की तरह चलाया जाय या उसके बदले में चार दिन दूसरी नई ट्रेन चलायी जाय। | पूर्वा एक्सप्रेस सप्ताह में चार दिन पटना होकर चलती है इसे धनबाद होकर चलाने से वर्तमान यात्री को कठिनाई का सामना करना होगा। अतः इसे भाया धनबाद होकर चलाना संभव नहीं है।                                                                                                                                        |
| 12.29 | जिस तरह हैदराबाद/सिकन्दराबाद, बंगलुरु, विशाखापटनम, विजयवाड़ा, नागपुर वगैरह में स्टेशनों में सामान वाहन की व्यवस्था है, उसी तरह पूर्व मध्य रेल के भी बड़े-बड़े स्टेशनों पर यह सुविधा होनी चाहिए।   | प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12.30 | जेडआरयूसीसी के सदस्यों के लिए जिस जगह रहते हैं वहाँ पर रेलवे अस्पताल में चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाय।                                                                                        | यह एक नितिगत मामला है।                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.31 | दानापुर रेलवे अस्पताल में आईसीयू, एसी, सफाई एवं मरीज के एंटेन्डेन्ट                                                                                                                               | दानापुर के ICU का कुछ दिन पहले ही नवीकरण किया गया है। दानापुर मंडल अस्पताल में Patient                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रेलवे की पास की व्यवस्था होनी चाहिए ।                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.37 | गोमो स्टेशन पर यात्री रिटायरिंग रूम एवं डोरमेटरी की व्यवस्था होनी चाहिए ।                                              | गोमो स्टेशन पर 02 शय्या का विश्रामालय उपलब्ध है जिसकी उपयोगिता बहुत कम है। अतः इस प्रस्ताव का औचित्य नहीं बनता है ।                                                                                                                                                                                      |
| 12.38 | पटना, हाजीपुर, मुगलसराय, धनबाद स्टेशन को इतना अच्छा सौन्दर्यीकरण हो जिससे ये सभी जोग से बिल्कुल अलग हो ।               | पटना, हाजीपुर, मुगलसराय, धनबाद स्टेशनों के साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पूर्व मध्य रेल के सभी स्टेशनों के सौन्दर्यीकरण और साफ-सफाई के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है ।                                                                                                                      |
| 12.39 | दानापुर-दूर्ग एक्सप्रेस एक लम्बी दूरी की गाड़ी है। एक पेन्ट्रीकार लगायी जानी चाहिये।                                   | इस ट्रेन में साईड वैडिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।                                                                                                                                                                                                                               |
| 13.0  | श्री मनीष कुमार                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13.1  | डेहरी ऑन सोन स्टेशन पर एसी विश्रामालय की व्यवस्था की जाए ।                                                             | डेहरी-ऑन-सोन के विकास का कार्य प्रस्ताव योजना शीर्ष 53/पी डब्लू पी 11-12 के अन्तर्गत मुख्यालय प्रस्तावित था जिसके कार्यवृत्त में एसी रिटायरिंग रूम का कार्य शामिल था परन्तु यह कार्य स्वीकृत नहीं हो सका। पुनः इस कार्य को प्रस्ताव योजना शीर्ष 53/पी डब्लू पी 12-13 के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। |
| 13.2  | चम्बल एक्सप्रेस 2175-2176 एवं 2177-78 का ठहराव डेहरी ऑन सोन स्टेशन पर किया जाए ।                                       | दिनांक 15.5.2011 से इन ट्रेनों का ठहराव डेहरी-ऑन-सोन स्टेशन पर प्रदान किया जा चुका है।                                                                                                                                                                                                                   |
| 13.3  | 53607-08, 53609-10 गया-मुगलसराय पैसेन्जर गाड़ी एवं 53361/53362 बी.डी. (बरवाडीह से बनारस) में यात्रियों के भीड़ के कारण | वर्तमान में यात्री कोच का काफी अभाव है, इसकी मांग रेलवे बोर्ड से की गई है, उपलब्ध होने पर विचार किया जाएगा।                                                                                                                                                                                              |

|      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | बोगियों की संख्या बढ़ायी जाए ।                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| 13.4 | गुगलसाराय स्टेशन परिसर पर लाल बहादुर शास्त्री की आदमकद प्रतिमा मुख्य द्वार के सामने लाल बहादुर शास्त्री उद्यान बनाकर लगायी जाए ।                                                     | रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश के तहत रेल जमीन पर पुरुष, महापुरुष की प्रतिमा स्थापित करने पर पूर्ण प्रतिबंध है।                                                                                                         |
| 13.5 | आरा से सासाराम तक के सभी रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की उचित व्यवस्था, शौचालयों एवं प्रतीक्षालय का निर्माण करवाया जाए । साथ ही रात्रिकालीन प्रकाश एवं यात्री शेड का निर्माण करवाया जाए । | आरा-सासाराम रेल पथ के सभी चार स्टेशनों पर मानक के अनुसार निर्धारित न्यूनतम यात्री सुविधाएं प्रदत्त है । इस रेल खंड पर अवस्थित 18 हॉल्ट स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता हेतु प्रयास किये जा रहे हैं । |
| 13.6 | 2985-2987 एवं 2988-2986 का ठहराव डेहरी ऑन रोड में किया जाए ।                                                                                                                         | इस स्टेशन पर हावड़ा/सियालदह एवं नई दिल्ली/जयपुर जाने हेतु मेल/एक्स. एवं सुपर फास्ट ट्रेनों का ठहराव प्रदत्त है । वांछित ट्रेनों के ठहराव के औचित्य की जांच की जा रही है ।                                            |
| 13.7 | डेहरी ऑन रोड के प्लेटफार्म संख्या 01 को रेल लेवल से हाईलेवल किया जाए एवं यात्री शेड एवं पेयजल की व्यवस्था की जाए ।                                                                   | प्रस्ताव पर आगे की कार्यवाही की जायेगी।                                                                                                                                                                              |
| 13.8 | डेहरी ऑन रोड के उत्तरी डालमियानगर साइड में एक बुकिंग काउंटर खोला जाए ।                                                                                                               | डेहरी-ऑन-रोड स्टेशन के उत्तर तरफ डालमियानगर की ओर पूर्व में टिकट बुकिंग कार्यालय खोला गया था । परन्तु यात्रियों की कम संख्या को देखकर बंद कर दिया गया । टिकट बुकिंग की वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है ।                |
| 13.9 | ट्रेन सं.13243/13244 डेहरी पटना इंटरसिटी को फास्ट पैसेंजर ट्रेन में बदला जाय ।                                                                                                       | डेहरी पटना इंटरसिटी को फास्ट पैसेंजर ट्रेन में बदलने की कोई योजना नहीं है । इससे रेल को वित्तीय नुकसान होगा।                                                                                                         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.10 | डेहरी ऑन सोन रेलवे हॉस्पिटल में स्थायी डाक्टरों की नियुक्ति की जाए ।                                                                                                                                                                                                                                                                     | डेहरी आन सोन स्वा० केन्द्र में एक चिकित्सक की पदस्थापना की गयी है ।                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13.11 | डेहरी ऑन सोन स्टेशन परिसर में चिल्ड वाटर मशीन को टी आर डी लाईन से जोड़ा जाए ।                                                                                                                                                                                                                                                            | टीआरडी सप्लाई का उपयोग केवल ट्रेन परिचालन हेतु किया जाता है। स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड द्वारा बिजली सप्लाई बाधित होने के पश्चात यात्रियों की सुविधा के लिए न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराने हेतु टीआरडी सप्लाई का उपयोग भी कर लेते हैं । चिल्ड वाटर मशीन का लोड अधिक है और इसे नियमानुसार टीआरडी सप्लाई से जोड़ना सम्भव नहीं है । |
| 13.12 | एडवांस टिकट जो 200 किमी० से कम दूरी का था उसे फिर चालू करवाया जाए । इसमें रिफंड न करने का नियम बनाकर चालू करवाया जाए ।                                                                                                                                                                                                                   | रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार यह सुविधा समाप्त की गयी है ।                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.0  | श्री डी. के. जैन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.1  | अगली जेडआरयूसीसी की बैठक बोध गया में आयोजित की जाय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सदस्यों के अनुरोध को देखते हुए अगली बैठक बोधगया में ही आयोजित की जा रही है।                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.2  | आरक्षण चार्ट के तैयार होने के बाद खाली सीटों की बुकिंग प्लेटफार्म पर चल टिकट परीक्षक द्वारा की जाती है लेकिन कई बार संबंधित टी.टी.ई को खोज पाना बहुत कठिन होता है । अतः चार्ट तैयार होने के बाद खाली जगहों की बुकिंग आरक्षण कार्यालय के द्वारा किया जाय और आरक्षण कार्यालय 10 बजे रात्रि तक खोला जाय ताकि उसकी बुकिंग मैनुअल की जा सके । | वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत चार्ट फाइनल होने के बाद ट्रेनों के खुलने से कुछ घंटे पहले मैनुअल आरक्षण प्लेटफॉर्म सं. 1 पर स्थित पाली प्रभासी टीसी द्वारा किये जाते हैं । गया के लिए कम्प्यूटराईज्ड व्यवस्था शुरू करने का कार्य प्रक्रियाधीन है । मुगलसराय के लिए इस व्यवस्था का औचित्य नहीं बनता है ।                          |

|       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.3  | गया आरक्षण कार्यालय का दूरभाष संख्या 2222932 विगत कई महीनों से भुगतान नहीं होने के कारण बंद है । अतः शीघ्र चालू कराया जाय ।                                                       | गया आरक्षण कार्यालय के बंद दूरभाष को चालू करा दिया गया है ।                                                                                                                                                                                                     |
| 14.4  | आरक्षण कार्यालय में आरक्षण हेतु सिर्फ 4 काउंटर है जिसमें प्रत्येक काउंटर पर 200 से अधिक टिकटों की बुकिंग होती है । अतः एक और काउंटर खोला जाय जिसे रात्रि 10 बजे तक चालू रखा जाय । | गया आरक्षण कार्यालय में प्रतिदिन सामान्यतः चार टिकट काउंटरों का एवं एक पी.आर.एस. संबंधित पूछताछ काउंटर को प्रति पाली चलाया जाता है । आवश्यकता के अनुरूप पी.आर.एस. संबंधित पूछताछ काउंटर को टिकट काउंटर के रूप में चलाये जाने का निर्देश सीआरएस को दिया गया है । |
| 14.5  | गया जं. पर स्कूटर स्टैंड के लिए दिये गए स्थान में वृद्धि की जाय ।                                                                                                                 | पार्किंग स्थल संवेदक को निविदा के उपरान्त आवंटित किया गया है तथा वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है ।                                                                                                                                                                 |
| 14.6  | गया में बस स्टैंड को पुराने गुड्स शेड के पीछे उत्तर की ओर स्थानांतरित किया जाय ।                                                                                                  | जगह की कमी के कारण प्रस्ताव संभव नहीं है। इस स्थान पर एमएफसी हेतु जमीन प्रस्तावित है।                                                                                                                                                                           |
| 14.7  | सभी पार्किंग स्थलों पर प्रदर्शित दर बोर्ड पर अंकित अक्षर बहुत छोटे आकार के हैं जिसके कारण पढ़ने में असुविधा होती है ।                                                             | पार्किंग दर बोर्ड में प्रदर्शित सूचनाएँ सुस्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में लिखवाने का निर्देश दिया गया है ।                                                                                                                                                          |
| 14.8  | गया में द्वितीय श्रेणी प्रतिकालय कक्ष बहुत ही खराब आकार में हैं जिसे नया रूप देने की आवश्यकता है ।                                                                                | प्रतिकालय की स्थिति अच्छी है। अधिक अच्छा बनाने के लिए फंड की उपलब्धता के बाद विचार किया जायेगा।                                                                                                                                                                 |
| 14.9  | गाड़ी संख्या 13151 में गया कोटा मुगलसराय पुल में है । अतः इस ट्रेन के शयनयान एवं वातानुकूलित दोनों श्रेणियों में अलग कोटा दिया जाय ।                                              | गाड़ी सं. 13151 में गया कोटा प्रदत्त नहीं है तथा गया द्वारा पूर्ववर्ती कोटा लोकेशन धनबाद का उपयोग किया जाता है ।                                                                                                                                                |
| 14.10 | गाड़ी संख्या 12389 में जबलपुर के लिए 20 बर्थ कोटा आवंटित है जो बहुत अधिक है । जबलपुर से                                                                                           | गाड़ी सं.12383 अधिकतम भार से चल रही है। अतिरिक्त कोच लगाना संभव नहीं है।                                                                                                                                                                                        |

|           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                            |  |       |       |       |        |        |    |    |     |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--|-------|-------|-------|--------|--------|----|----|-----|--|--|
|           | आने-जाने के लिए अनेक गाड़ियों हैं । अतः इस कोटा को गया स्टेशन पर दिया जाय और इस ट्रेन में एक अतिरिक्त वातानुकूलित श्री टायर कोच जोड़ा जाय ।                                                        | इस ट्रेन में गया को प्रदत्त आरक्षण कोटा निम्नवत है:- <table><tr><td rowspan="2">ट्रेन सं.</td><td colspan="3">उपलब्ध सामान्य आरक्षण कोटा</td></tr><tr><td>2एसी</td><td>3 एसी</td><td>स्लीपर</td></tr><tr><td>12389</td><td>17</td><td>27</td><td>298</td></tr></table>            | ट्रेन सं. | उपलब्ध सामान्य आरक्षण कोटा |  |       | 2एसी  | 3 एसी | स्लीपर | 12389  | 17 | 27 | 298 |  |  |
| ट्रेन सं. | उपलब्ध सामान्य आरक्षण कोटा                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                            |  |       |       |       |        |        |    |    |     |  |  |
|           | 2एसी                                                                                                                                                                                               | 3 एसी                                                                                                                                                                                                                                                                             | स्लीपर    |                            |  |       |       |       |        |        |    |    |     |  |  |
| 12389     | 17                                                                                                                                                                                                 | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                | 298       |                            |  |       |       |       |        |        |    |    |     |  |  |
| 14.11     | गया से गाड़ी संख्या 12175, 12177, 19306, 12312, 12308 में स्लीपर में 72 बर्थ तथा श्री एसी में 16 बर्थ का कोटा दिया जाय ।                                                                           | इस संबंध में सीसीएम/पीएम/कोलकाता को इस कार्यालय के पत्रांक कॉम/पीए/पीआरएस/कोटा/गया/09 दिनांक 22.05.09 तथा दिनांक 23.6.2011 के पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है ।                                                                                                                    |           |                            |  |       |       |       |        |        |    |    |     |  |  |
| 14.12     | गया में ट्रेन संख्या 12443 में कोटा प्रदान किया जाय ।                                                                                                                                              | इस ट्रेन में गया को प्रदत्त आरक्षण कोटा निम्नवत है:- <table><tr><td rowspan="2">ट्रेन सं.</td><td colspan="2">उपलब्ध सामान्य आरक्षण कोटा</td></tr><tr><td>2 एसी</td><td>3 एसी</td></tr><tr><td>12443</td><td>04</td><td>10</td></tr></table>                                      | ट्रेन सं. | उपलब्ध सामान्य आरक्षण कोटा |  | 2 एसी | 3 एसी | 12443 | 04     | 10     |    |    |     |  |  |
| ट्रेन सं. | उपलब्ध सामान्य आरक्षण कोटा                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                            |  |       |       |       |        |        |    |    |     |  |  |
|           | 2 एसी                                                                                                                                                                                              | 3 एसी                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                            |  |       |       |       |        |        |    |    |     |  |  |
| 12443     | 04                                                                                                                                                                                                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                            |  |       |       |       |        |        |    |    |     |  |  |
| 14.13     | ट्रेन संख्या 11045/11046 दीक्षाभूमि एक्सप्रेस में आपातकालीन कोटा गया से दिया जाय ।                                                                                                                 | ट्रेन संख्या 11045/11046 दीक्षाभूमि एक्सप्रेस गया को 08 बर्थ का आपातकालीन कोटा (3एसी-02, स्लीपर - 06) प्रदत्त है ।                                                                                                                                                                |           |                            |  |       |       |       |        |        |    |    |     |  |  |
| 14.14     | गया से ट्रेन संख्या 12321 में शयनयान श्रेणी में 100 बर्थ एवं श्री एसी में 24 बर्थ का कोटा दिया जाय । इन ट्रेनों में शयनयान में 4 बर्थ एवं श्री एसी में 3 बर्थ गया से आपातकालीन कोटा में दिया जाय । | इस ट्रेन में गया को प्रदत्त आरक्षण कोटा निम्नवत है:- <table><tr><td rowspan="2">ट्रेन सं.</td><td colspan="3">उपलब्ध सामान्य आरक्षण कोटा</td></tr><tr><td>1ए सी</td><td>2एसी</td><td>3 एसी</td><td>स्लीपर</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | ट्रेन सं. | उपलब्ध सामान्य आरक्षण कोटा |  |       | 1ए सी | 2एसी  | 3 एसी  | स्लीपर |    |    |     |  |  |
| ट्रेन सं. | उपलब्ध सामान्य आरक्षण कोटा                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                            |  |       |       |       |        |        |    |    |     |  |  |
|           | 1ए सी                                                                                                                                                                                              | 2एसी                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 एसी     | स्लीपर                     |  |       |       |       |        |        |    |    |     |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                            |  |       |       |       |        |        |    |    |     |  |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |    |    |  |           |                            |  |  |  |       |       |       |       |    |    |    |       |    |    |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|--|-----------|----------------------------|--|--|--|-------|-------|-------|-------|----|----|----|-------|----|----|----|
|           |                                                                                                                                                                                                                                    | 2321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02    | 08 | 10 | 69 |  |           |                            |  |  |  |       |       |       |       |    |    |    |       |    |    |    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                    | ट्रेन सं. 2321 मुम्बई मेल में गया को स्लीपर में 03 बर्थ का इमरजेंसी कोटा प्रदत्त है । इस ट्रेन में मुगलसराय को 2 एसी श्रेणी में 02 बर्थ तथा 3 एसी श्रेणी में 02 बर्थ तथा स्लीपर में 06 बर्थ का इमरजेंसी कोटा प्रदत्त है जिसका उपयोग इस ट्रेन के गया से यात्रा आरम्भ होने वाले 2 एसी, 3 एसी एवं स्लीपर के टिकटों के लिये भी किया जा सकता है ।                                                                                                                                        |       |    |    |    |  |           |                            |  |  |  |       |       |       |       |    |    |    |       |    |    |    |
| 14.15     | ट्रेन संख्या 13010 में गया के लिए पहले 02 कोचों की कोटा दी गई थी जिसे वर्तमान में मुगलसराय स्थानांतरित कर दिया गया है । पुराने कोटा को इस ट्रेन में पुनः दिया जाय । श्री टायर एसी में गया जं. से आपातकालिन कोटा उपलब्ध कराया जाय । | ट्रेन सं. 3010 डा. में गया कोच एस-8 एवं एस-9 मुगलसराय से जोड़ा जाता है । मुगलसराय में इस ट्रेन में कोई आरक्षण कोटा प्रदान नहीं है । इस ट्रेन में गया को प्रदत्त 3 एसी में 04 बर्थ एवं स्लीपर में 125 बर्थ के आरक्षण कोटे को पी.आर.एस. मुख्यालय द्वारा युक्तिरंगत करते हुए मुगलसराय को दिनांक 18.8.2010 से 3 एसी में 02 बर्थ एवं स्लीपर में 91 बर्थ तथा गया का 3 एसी में 02 बर्थ एवं स्लीपर में 36 बर्थ प्रदान किया गया है एवं इसे मुगलसराय एवं गया दोनों के लिए सुलभ बनाया गया है । |       |    |    |    |  |           |                            |  |  |  |       |       |       |       |    |    |    |       |    |    |    |
| 14.16     | ट्रेन संख्या 12301, 12313 राजधानी एक्सप्रेस में कम से कम 4 बर्थ गया जं. से आपातकालिन कोटा की सुविधा प्रदान की जाय ।                                                                                                                | इस ट्रेन में गया को प्रदत्त आरक्षण कोटा निम्नवत है:— <table><tr><td>ट्रेन सं.</td><td colspan="3">उपलब्ध सामान्य आरक्षण कोटा</td></tr><tr><td></td><td>1 एसी</td><td>2 एसी</td><td>3 एसी</td></tr><tr><td>12301</td><td>02</td><td>12</td><td>18</td></tr><tr><td>12313</td><td>01</td><td>08</td><td>16</td></tr></table>                                                                                                                                                          |       |    |    |    |  | ट्रेन सं. | उपलब्ध सामान्य आरक्षण कोटा |  |  |  | 1 एसी | 2 एसी | 3 एसी | 12301 | 02 | 12 | 18 | 12313 | 01 | 08 | 16 |
| ट्रेन सं. | उपलब्ध सामान्य आरक्षण कोटा                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |    |    |  |           |                            |  |  |  |       |       |       |       |    |    |    |       |    |    |    |
|           | 1 एसी                                                                                                                                                                                                                              | 2 एसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 एसी |    |    |    |  |           |                            |  |  |  |       |       |       |       |    |    |    |       |    |    |    |
| 12301     | 02                                                                                                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18    |    |    |    |  |           |                            |  |  |  |       |       |       |       |    |    |    |       |    |    |    |
| 12313     | 01                                                                                                                                                                                                                                 | 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16    |    |    |    |  |           |                            |  |  |  |       |       |       |       |    |    |    |       |    |    |    |
| 15.0      | श्री सुबोध कुमार जैन                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |    |    |  |           |                            |  |  |  |       |       |       |       |    |    |    |       |    |    |    |
| 15.1      | पटना जंक्शन पर सफाई, पेयजल एवं पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाए                                                                                                                                                                    | पटना जंक्शन पर सफाई की समुचित व्यवस्था की गयी है। इसमें सुधार हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |    |    |  |           |                            |  |  |  |       |       |       |       |    |    |    |       |    |    |    |

|      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | I                                                                                                                                                                                   | है।                                                                                                                                                |
| 15.2 | पटना जंक्शन के उदघोषणा प्रणाली को सुधारा जाए इसका आवाज बहुत गूँजता है।                                                                                                              | सीसीटीवी युक्त उदघोषणा प्रणाली में आवाज को उचित स्तर पर रखने से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। यह ठीक ढंग से कार्य कर रहा है।                  |
| 15.3 | पटना जं0 पर स्थित डाकघर के पास एक पीआरएस खोला जाए।                                                                                                                                  | डाकघर के माध्यम से रेलवे के आरक्षण टिकटों की बिक्री के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।                                                          |
| 15.4 | पटना और वाराणसी के बीच एक इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाई जाए।                                                                                                                              | पटना और वाराणसी के बीच कई मेल एक्सप्रेस ट्रेनें परिचालित हो रही हैं। अतः इंटरसिटी एक्सप्रेस के परिचालन का औचित्य नहीं बनता है।                     |
| 15.5 | पटना जंक्शन के प्लेटफार्मों पर बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जाए।                                                                                                                   | पटना जं0 प्लेटफार्म पर वांछित मानक के अनुसार प्रत्येक प्लेटफार्म पर यात्रियों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध है।                             |
| 15.6 | सचिवालय हॉल्ट पर गाड़ियों को काफी समय तक रोके रखा जाता है यदि ज्यादा समय लगने वाला हो तो यात्रियों को सूचित किया जाए ताकि जिन्हें जल्दी हो वे वहाँ से उतरकर अपने गंतव्य तक जा सकें। | सुधार के लिये पर्याप्त कदम उठाये गये हैं।                                                                                                          |
| 15.7 | पटना जंक्शन पर करबिगहिया साईड में भी एटीएम स्थापित किया जाए।                                                                                                                        | पटना जंक्शन पर करबिगहिया साईड में भी एटीएम स्थापना के प्रस्ताव के औचित्य की जाँच करायी जा रही है। इसके लिए कई बैंकों के साथ समन्वय की योजना भी है। |
| 16.0 | श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |
| 16.1 | साईड स्टेशनों का भी बड़े पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाए।                                                                                                                     | गंडल के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर रोड साईड स्टेशन के निरीक्षण किये जाते हैं।                                                                    |
| 16.2 | हाजीपुर से मुजफ्फरपुर के बीच 10 से 11 बजे के बीच एक पैसेन्जर                                                                                                                        | हाजीपुर — मुजफ्फरपुर रेल खण्ड के दोहरीकरण होने के बाद प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।                                                                |

|      |                                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | गाड़ी उपलब्ध कराई जाय।                                                                                                                       |                                                                                                                              |
| 16.3 | हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर-पटोरी रेल खंड पर पानी की बहुत किल्लत हो जाती है इस ओर ध्यान दिया जाए।                                         | सोनपुर मंडल के सभी रेल खंडों में उपलब्ध सप्लाई पानी अथवा हैंड पम्प कार्यरत हैं तथा खराब होने पर उनका मरम्मत कर दिया जाता है। |
| 16.4 | लिव्ही एक्स0 को पुनः मुजफ्फरपुर से चलाया जाए।                                                                                                | यह संभव नहीं है, क्योंकि सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर के बीच के यात्रियों को काफी कठिनाई होगी।                                     |
| 16.5 | डिब्रुगढ़ एक्स0 का ठहराव हाजीपुर में होना चाहिए।                                                                                             | इस गाड़ी का हाजीपुर स्टेशन पर ठहराव विचारार्थ है।                                                                            |
| 16.6 | भगवानपुर स्टेशन पर आग्रपाली एक्स0 का ठहराव दिया जाए।                                                                                         | लम्बी दूरी की गाड़ी एवं इसका समय पालन सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में यह संभव नहीं है।                                     |
| 16.7 | पटोरी-हाजीपुर पैसेन्जर ट्रेन को समय पर चलाया जाए।                                                                                            | मण्डल को पैसेन्जर ट्रेन को समय पर चलाने के लिये निर्देश दिया जा चुका है।                                                     |
| 17.0 | श्री गोविन्द प्रसाद केजरीवाल                                                                                                                 |                                                                                                                              |
| 17.1 | मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर सदस्यों का नाम जो बोर्ड पर अंकित है उसे अद्यतन किया जाए।                                                          | अद्यतन करा दिया गया है।                                                                                                      |
| 17.2 | कार्यवाही की सूचना या तो मितिग में बताई जाय या पत्र के माध्यम से सदस्यों को दी जाए।                                                          | कार्यवाही की सूचना दी जा रही है।                                                                                             |
| 17.3 | मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की समस्या निरंतर बनी हुई है यहाँ पर पार्किंग रेट का बोर्ड लगाया जाए एवं टेकेदारों की मनगानी को रोका जाए। | पार्किंग दर प्रदर्शित करा दिया गया है। इसके अलावे इसपर विशेष ध्यान रखने हेतु स्टेशन अधीक्षक को निर्देशित किया गया है।        |
| 17.4 | ट्रेनों में मेनू प्रत्येक बेंडरों के पास                                                                                                     | मंडल की दो ट्रेनों में पैंट्रीकार की सुविधा है                                                                               |

|       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | होना चाहिए एवं वेंडरों के पाकिट पर एक लेवल लगा हो जिस पर उसका नाम लिखा हो ।                                                   | 12397/98 एवं 12389/90 एवं इनमें कार्य करने वाले सभी पैन्टीकार कर्मचारियों के लिए निर्धारित यूनिफार्म धारण करने तथा वेंडरों द्वारा नेम-बैज लगाने का प्रावधान है ।                                                                        |
| 17.5  | मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पीआरएस की संख्या बढ़ायी जाए एवं जोगल प्रशिक्षण केन्द्र पर भी एक अतिरिक्त पीआरएस स्थापित किया जाए । | यात्री संख्या, आय एवं आरक्षण मांग-पत्रों के अनुसार मुजफ्फरपुर में पी.आर.एस. काउंटरों की संख्या पर्याप्त है । वर्तमान में इसे बढ़ाये जाने का औचित्य नहीं बनता है ।                                                                       |
| 17.6  | मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर इन्क्वायरी आफिस ठीक से काम नहीं कर रहा है । इस ओर ध्यान दें ।                                      | पूछताछ को बेहतर बनाने के उद्देश्य से गाड़ी संकेतक पट्ट,पीओईटी, आरपीआईडी के अलावे दो विडियो कॉन्फेसिंग सिस्टम का काउंटर एवं केवल टी. वी. के माध्यम से गाड़ियों की सूचना प्रदान की जा रही है । दूरभाष सं. 139 पर भी यह सुविधा उपलब्ध है । |
| 17.7  | मुजफ्फरपुर में प्लेटफार्म संख्या 06 एवं 07 पर सर्कुलेटिंग एरिया की सुविधा नहीं है । इसे बहाल की जाए ।                         | कार्य स्वीकृत है इसे शीघ्र ही प्रारंभ किया जायेगा ।                                                                                                                                                                                     |
| 17.8  | समय-समय पर एसी के पुराने बेड रॉल एवं पीलो को बदला जाना चाहिये ।                                                               | कोडल लाईफ की समाप्ति एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर पुराने बेडरॉल को बदलकर नया प्रदान किया जाता है ।                                                                                                                                      |
| 17.9  | अभी मुजफ्फरपुर में लीची का समय आ गया है अतः रेलवे को इसके लिए अलग से लीची को बाहर भेजने की व्यवस्था करनी चाहिये ।             | मांग के अनुसार VP (वीपी) की आपूर्ति की गई है । अतिरिक्त मांग होने पर VP (वीपी) की आपूर्ति की जायेगी ।                                                                                                                                   |
| 17.10 | मुजफ्फरपुर स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया के साफ-सफाई पर ध्यान दिया जाना चाहिये ।                                                | सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गये हैं ।                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.11 | कोलकाता जाने के लिए मिथिला एव बाघ एक्स. के कोच की हालत बहुत ही दयनीय है अतः संबंधित क्षेत्रीय रेल से बात करके एसी कोच को बदला जाना चाहिये।                                                                                 | प्रयास किया जा रहा है।                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18.0  | श्री मनोज कुमार सिंह                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18.1  | इन्होंने कहा कि सचिव महोदय से मिलकर मैं अपना लिखित सुझाव दूंगा।                                                                                                                                                            | अनुपालन करने हेतु नोट किया।                                                                                                                                                                                                                                |
| 19.0  | श्री राजेश प्रसाद शुक्ला उर्फ टिल्लू                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19.1  | गुलजारबाग स्टेशन वर्तमान में डी श्रेणी का स्टेशन है इसे बढ़ाकर ग्रेड बी श्रेणी में किया जाय।                                                                                                                               | स्टेशन की श्रेणी में परिवर्तन उसके यात्री आय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। स्टेशनों के श्रेणी निर्धारण के लिए भविष्य में किये जाने वाले विश्लेषण में इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।                                                                |
| 19.2  | गुलजारबाग स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 2 पर एक छोटा सा शेड है वह भी टूटा हुआ है इसलिए प्लेटफार्म संख्या 2 पर एक बड़ा शेड का निर्माण कराया जाय।                                                                              | गुलजारबाग स्टेशन शेड का कार्य मंडल स्तर पर स्वीकृत कराया जा रहा है।                                                                                                                                                                                        |
| 19.3  | गुलजारबाग स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की कमी है। दिन के दस बजे के बाद शाम सात बजे तक यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है जबकि पैसेंजर्स की सौ गुणा वृद्धि हुई है। परन्तु गाड़ी नहीं है इसे समीक्षा करने की जरूरत है। | गुलजारबाग स्टेशन पर 10.00 बजे से 19.00 बजे के बीच 08 ट्रेनों का आगमन प्रस्थान होता है जो स्टेशन की यात्री संख्या के आलोक में पर्याप्त है। गुलजारबाग से पटना सिटी की दूरी मात्र 2.94 किमी है। इसलिए पैसेन्जर ट्रेनों के फेरों में वृद्धि करना संभव नहीं है। |
| 19.4  | गुलजारबाग स्टेशन पर भागलपुर-दानापुर, साहेबगंज-दानापुर, कमलागंगा इंटरसिटी एवं                                                                                                                                               | स्टेशन की यात्री संख्या एवं आय के आलोक में इस प्रस्ताव का औचित्य नहीं बनता है।                                                                                                                                                                             |

|       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | दानापुर-हावड़ा एक्सप्रेस के ठहराव दी जाय एवं पैसेंजर ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की जाय ।                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19.5  | गुलजारबाग स्टेशन पर इनक्वायरी काउंटर खोलने एवं ठंडे पानी की मशीन लगाने की जरूरत है ।                                                            | इन्क्वायरी कर्मचारी की व्यवस्था कर दी गई है। गुलजारबाग स्टेशन पर यात्रियों के लिए ठंडा पानी उपलब्ध कराने हेतु एक वाटर कूलर की व्यवस्था कर दी गयी है जिसे 15.08.11 तक कमिशन कर लिया जायेगा।                                            |
| 19.6  | गुलजारबाग स्टेशन पर कभी-कभी पानी की मोटर जल जाती है जिससे स्टेशन पर जल संकट पैदा हो जाता है इसके सहित के लिए समीक्षा पर 5 हैंड पम्प लगाया जाय । | गुलजारबाग स्टेशन पर यात्रियों के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु एक समरसिबल पम्प 15000 जीपीएच की व्यवस्था है जिसकी मोटर जल जाने के उपरान्त तुरन्त दूसरा मोटर लगा दिया जाता है । पिछले एक वर्षों में यहाँ पर समरसिबल पम्प फेल नहीं हुआ है । |
| 19.7  | आय की दृष्टि से पटना साहिब ए श्रेणी का स्टेशन है फिर भी इस स्टेशन पर ए श्रेणी की सुविधा उपलब्ध नहीं है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।        | वर्ष 2006-07 के स्टेशन आय के आलोक में पटना साहिब 'बी' श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत है। यहाँ यात्री सुविधाओं के विस्तार का अध्ययन कराया जा रहा है। पटना साहिब स्टेशन पर सुविधा के विस्तार का कार्य जल्द ही प्रारंभ किया जायेगा।         |
| 19.8  | पटना साहिब स्टेशन के दूसरे नये पुल का विस्तार बाहरी बेगमपुर तक किया जाय ।                                                                       | ऐसा अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।                                                                                                                                                                                                         |
| 19.9  | पटना साहिब स्टेशन का जलमीनार 1861 की बनी हुई है इसे तोड़ कर नया बनाया जाय ।                                                                     | पटना साहिब में पुनः जलमीनार का निर्माण कराया जा रहा है।                                                                                                                                                                               |
| 19.10 | पटना साहिब स्टेशन के पास लगभग 50 एकड़ जमीन बेकार पड़ी है उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर वाशिंग पिट का निर्माण कराया जाय                         | पटना साहिब स्टेशन के पास बेकार पड़ी रेलवे की जमीन का इस्तेमाल कर वाशिंग पिट का निर्माण किया जा सकता है।                                                                                                                               |

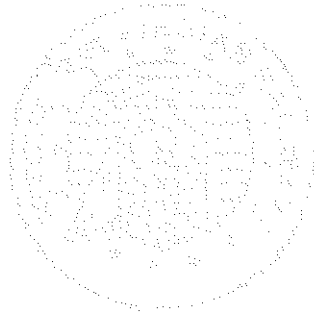
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.11 | बख्तियारपुर से पटना के बीच 09.20 बजे से 12.00 बजे के बीच कोई ट्रेन नहीं है इसलिए इस अवधि में लोकल ट्रेन दी जाय तथा इसकी समीक्षा की जाय ।                                                                                                                                                   | बख्तियारपुर से पटना के बीच 9.20 बजे से 12.00 बजे के बीच 12391, 13401, 12567, 63207, 53227, 18622, 63209 एवं 15713 गाड़ी उपलब्ध है।                                                                               |
| 19.12 | पटना घाट लोकल पैसेंजर ट्रेन का फेरा बढ़ाया जाय ।                                                                                                                                                                                                                                           | पर्याप्त टिकट बिक्री नहीं है।                                                                                                                                                                                    |
| 19.13 | पटना साहिब स्टेशन पर गाड़ी संख्या 13331/13332 पटना-धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस, 13241/13242 राजेन्द्रनगर-बांका एक्सप्रेस, 15109/15110 वाराणसी-राजगीर बुद्धपूर्णिमा एक्सप्रेस, 12333/12334 विभुति एक्सप्रेस, 12569/12570 गरीबरथ एक्सप्रेस एवं 12553/12554 गरीबरथ एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाय । | इन गाड़ियों के पटना साहिब स्टेशन पर ठहराव का औचित्य नहीं है ।                                                                                                                                                    |
| 19.14 | 12317/12318 हावड़ा-अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस को प्रतिदिन किया जाय ।                                                                                                                                                                                                                       | संसद में आगामी बजट प्रस्तुत किये जाने से पहले इस ट्रेन का फेरा बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा जाएगा । इस संबंध में अंतिम निर्णय रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाएगा । इस पथ पर अन्य गाड़ियां भी चलती है । |
| 19.15 | 12365/12366 पटना-रौंघी जनशताब्दी एक्सप्रेस को पारसनाथ स्टेशन पर ठहराव दिया जाय ।                                                                                                                                                                                                           | ठहराव हेतु प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा गया है।                                                                                                                                                                     |
| 19.16 | 12351/12352 दानापुर-हावड़ा एक्सप्रेस का ठहराव पटना साहिब में 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट किया                                                                                                                                                                                                  | 12351/12352 दानापुर-हावड़ा एक्सप्रेस का ठहराव पटना साहिब में 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।                                                                                           |

|       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | जाय ।                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 19.17 | 12309/12310 पटना-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के कोचों में गंदगी एवं रख-रखाव पर ध्यान दिया जाय ।                                                                                         | 12309/12310 पटना-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की उचित साफ-सफाई राजेन्द्रनगर कोचिंग डिपो में की जाती है इसके बाद ही इसे राजेन्द्रनगर स्टेशन पर लगाया जाता है । इस गाड़ी में ऑन बोर्ड हाउस किथिंग की व्यवस्था भी है । |
| 19.18 | पटना साहिब स्टेशन पर ठंडे पानी की मशीन लगाया जाय ।                                                                                                                                      | पटना साहिब स्टेशन पर यात्रियों के लिए ठंडा पानी उपलब्ध कराने हेतु दो वाटर कुलर की व्यवस्था कर दी गयी है ।                                                                                                          |
| 19.19 | गाड़ियाँ समय पर चलती रहती हैं लेकिन दानापुर मंडल में जैसे ही प्रवेश करती है गाड़ियाँ 4-5 घंटे विलंब हो जाती है इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ।                                        | हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। जगह-जगह होने वाले ए.सी.पी. पर रोक थाम के लिए ट्रेनों में स्कॉट की व्यवस्था की गयी है। गाड़ियों के परिचालन पर अधिकारी स्तर पर मोनिटरिंग की जाती है।                               |
| 19.20 | पटना जं. पर रिजर्वेशन काउंटर के बाहरी परिसर में हमेशा लावारिस लाश कई दिनों तक पड़ी रहती है एवं चारों तरफ दुर्गन्ध फैलती है । इनके तुरंत क्रियाकर्म एवं मोर्चरी की व्यवस्था होनी चाहिए । | सम्बन्धित अधिकारीयो को आवश्यक कार्यवाई हेतु निर्देश दिए गये हैं। लावारिस लाशों का शीघ्र निस्तारण जीआरपी द्वारा किया जाना है । इसके लिए जीआरपी को सलाह दी गयी है ।                                                  |
| 19.21 | कुलियों को बीमा कराया जाय एवं कुलियों के लिए स्टेशन पर विश्रामगृह बनाया जाय जिसमें कुलर, पंखा एवं टी.वी लगाया जाय ।                                                                     | पटना स्टेशन पर कुलियों के लिए विश्रामगृह उपलब्ध है । कुलियों के बीमा कराये जाने की प्रक्रिया चल रही है।                                                                                                            |
| 19.22 | पटना साहिब स्टेशन का रोड पिछले 5 वर्षों से टूटा हुआ है उसे तुरन्त बनवाया जाय ।                                                                                                          | पटना साहिब स्टेशन का रोड बनाने का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ हो जायेगा।                                                                                                                                                |
| 19.23 | पटना साहिब स्टेशन पर पानी की मोटर जल जाती है जिससे स्टेशन                                                                                                                               | पटना साहिब स्टेशन पर हैंड पम्प का व्यवस्था किया जा रहा है। पटना साहिब स्टेशन पर यात्रियों                                                                                                                          |

|       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | पर जल संकट पैदा हो जाता है इसके सहित के लिए हैंड पम्प लगाया जाय ।                                                      | के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु एक समरसिबल पम्प 15000 जीपीएच की व्यवस्था है जिसकी मोटर जल जाने के उपरान्त तुरन्त दूसरा मोटर लगा दिया जाता है । पिछले एक वर्षों में यहाँ पर समरसिबल पम्प फेल नहीं हुआ है ।                                                                            |
| 19.24 | पटना साहिब स्टेशन पर भीआईपी वेटिंग रूम बनाया जाय तथा स्टेशन मास्टर के कमरे में कूलर या एसी लगाया जाय ।                 | पटना साहिब स्टेशन पर बीआईपी वेटिंग रूम बनाने का कार्य रवीकृत है और जल्द ही प्रारंभ किया जायेगा । नियमानुसार स्टेशन मास्टर के कमरे में एसी की व्यवस्था करने का प्रावधान नहीं है ।                                                                                                   |
| 19.25 | गाड़ी संख्या 13287/13288 में पेन्ट्रीकार की बोगी अविलम्ब लगाया जाय ।                                                   | ट्रेन सं. 13287/13288 दानापुर- दुर्ग एक्सप्रेस में पेन्ट्रीकार लगाने के लिए प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है । इस बीच ट्रेन साइड वेंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।                                                                                      |
| 20.0  | श्री रोहन लाल मेहता                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20.1  | रेलवे द्वारा गाड़ियों में उपलब्ध करायी जाने वाले खान-पान की व्यवस्था में सुधार किया जाए ।                              | रेलवे की नयी कैटरिंग नीति के तहत गाड़ियों में उपलब्ध करायी जाने वाली खान-पान व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है । खान-पान की गुणवत्ता की भौनितिरींग के लिए इंडियन इंस्टीच्युट ऑफ होटल मैनेजमेंट में प्रशिक्षित कैटरिंग इंस्पेक्टरों को पर्यवेक्षण एवं जॉच की जिम्मेवारी दी गयी है । |
| 20.2  | प्लेटफार्मों पर बिना लाइसेंसधारी स्टॉल खुला हुआ है । इस ओर ध्यान दें साथ ही एक लाइसेंस पर तीन-चार स्टॉल खुले हुए हैं । | समय-समय पर बिना लाइसेंसधारी हॉकरों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है और आवश्यक कार्यवाही की जाती है । मुगलसराय मंडल के अंतर्गत अवस्थित स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर बिना लाइसेंस का कोई स्टॉल नहीं है तथा प्रत्येक लाइसेंसधारी को पृथक लाइसेंस प्रदान किये गये हैं ।                    |
| 20.3  | सदस्यों को अधिकार दिया जाए कि वे चल टिकट निरीक्षक की भी जांच कर सकें ।                                                 | वर्तमान नीति के अनुसार ऐसा किया जाना संभव नहीं है ।                                                                                                                                                                                                                                |

|      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.4 | मालगोदाम के क्लर्क विलम्ब चार्ज रेल को न देकर आपरा में भष्टाचार करके बांट ले रहे हैं इस ओर ध्यान दिया जाए । | मालगोदामों के क्रिया कलाप की जाँच के लिए स्थानीय पर्यवेक्षक के अतिरिक्त लेखा विभाग तथा सतर्कता विभाग द्वारा नजर रखा जाता है। यदि कोई ऐसा मामला हो तो मु.वा.प्र. के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।                                                                                                                            |
| 20.5 | रेल पदाधिकारियों के निरीक्षण की जानकारी सदस्यों को भी दी जाए साथ ही उन्हें भी आमंत्रित की जाए ।             | मंडल के जेडआरयूसीसी/डीआरयूसीसी सदस्यों को मंडल के अंतर्गत आयोजित रेलवे के पदाधिकारियों के यात्रा कार्यक्रम की सूचना दी जाती है । पदाधिकारियों के वैसे दौरे जिनका कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं होता तथा जो औचक दौरे होते हैं । उनके संबंध में सूचना दिया जाना संभव नहीं है ।                                          |
| 20.6 | सदस्यों को रेलवे का पास दिया जाए ।                                                                          | रेलवे पास नियम में इस प्रकार के पास देने का कोई प्रावधान नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20.7 | भभुआ स्टेशन, सासाराम स्टेशन एवं डेहरी स्टेशन पर एसी रिटायरिंग रूम की व्यवस्था की जाए ।                      | रेलवे राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा भभुआ, सासाराम एवं डेहरी स्टेशन पर विद्युत की सप्लाई की जाती है जो कि अनियमित है केवल 10 घंटे प्रतिदिन ही उपलब्ध रहती है । इन स्टेशनों पर एसी रिटायरिंग रूम की व्यवस्था करना तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं होगा क्योंकि केवल एसी के लिए लगातार विद्युत सप्लाई की व्यवस्था करना संभव नहीं है । |
| 20.8 | डेहरी-ऑन-सोन स्टेशन पर चम्बल एक्स10 12177-78 तथा अजमेर सियालदाह एक्स10 का ठहराव दिया जाए ।                  | दिनांक 15.5.2011 से हावड़ा ग्वालियर चम्बल एक्स. 2175/2176 एवं हावड़ा मथुरा चम्बल एक्स. 2177/2178 का ठहराव डेहरी-ऑन-सोन स्टेशन पर प्रदान किया जा चुका है । चम्बल एक्सप्रेस का ठहराव दे दिया गया है। अजमेर-सियालदाह एक्सप्रेस का ठहराव के लिये रेलवे बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं हुई है।                                     |
| 20.9 | महाबोधी एक्स10 की तरह डाल्टेनगंज भाया डेहरी, मुगलसराय, बनारस, नई दिल्ली की एक गाड़ी चलायी जाए ।             | डाल्टेनगंज से नई दिल्ली के लिए कई ट्रेनों की सेवा उपलब्ध है। अतः इस प्रस्ताव का औचित्य नहीं बनता है।                                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                                                                            |                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 20.10 | डेहरी-ऑन-सोन स्टेशन के प्लेटफार्म की उँचाई बढ़ाया जाए ।                                    | प्रस्ताव विचाराधीन है । |
| 20.11 | डेहरी-ऑन-सोन स्टेशन, सासाराम स्टेशन एवं भगूआ रोड स्टेशन पर महिला हाजत की व्यवस्था की जाए । | प्रस्ताव विचाराधीन है । |



## पूर्व मध्य रेल

### क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की प्रस्तावित उप-विधि

#### 1.0 प्रस्तावना :

- 1.1 रेल उपयोगकर्ता का बेहतर एवं प्रभावी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने, पूर्व मध्य रेल प्रशासन और उपयोगकर्ताओं के बीच इस रेल द्वारा प्रदत्त सेवा से सम्बन्धित मामलों पर परामर्श के अधिक अवसर उपलब्ध कराने एवं सेवा की दक्षता में सुधार हेतु पूर्व मध्य रेल के प्रधान कार्यालय, हाजीपुर में क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति बनाई गई है, (जिसे अब से जेड.आर.यू.सी.सी. कहा जाएगा) साथ ही दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर एवं सोनपुर के मंडल मुख्यालयों में पाँच डी.आर.यू.सी.सी. भी गठित की गई है।
- 1.2 क्षेत्र.उ.प.स. का उद्देश्य : जेड.आर.यू.सी.सी. के गठन का उद्देश्य स्टेशनों और गाड़ियों दोनों पर यात्री-सुविधाओं को रेलवे उपयोगकर्ताओं के लिए यथासंभव लाभदायक बनाने के लिए सदस्यों के परामर्श से जनमत प्राप्त करने का प्रावधान करना, और इस प्रकार रेलवे प्रशासन को जनमत और आवश्यकता के अनुरूप पूर्णतः सही एवं शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना है ताकि रेलवे के पास उपलब्ध संसाधनों का सही दिशा में अधिकतम उपयोग हो सके और बिना अतिरिक्त खर्च के अधिक वांछित काम पूरा किया जा सके।

#### 2.0 समिति का गठन :

- 2.1 जेड.आर.यू.सी.सी. में इस रेलवे द्वारा सेवित राज्य क्षेत्र में सामान्य रेलवे उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधित्व हेतु माननीय रेल मंत्री द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होंगे जिसे नीचे दर्शाया गया है :-
- 2.1.1 (क) केवल 10 संसद सदस्य (07 लोक सभा और 03 राज्य सभा) नामित किए जाएंगे।
- (ख) जेड.आर.यू.सी.सी. में प्रत्येक केन्द्रीय मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र जो पूर्व मध्य रेल सेवित क्षेत्र में स्थित हो प्रतिनिधित्व हेतु उनके द्वारा नामित व्यक्ति।
- 2.1.2 इस रेलवे द्वारा सेवित राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित प्रत्येक विधान मंडल का एक सदस्य।
- 2.1.3 इस रेलवे द्वारा सेवित प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, जैसा कि उस सरकार द्वारा अनुशंसित हो।
- 2.1.4 प्रमुख चेम्बर ऑफ कामर्स के अधिक से अधिक पांच प्रतिनिधि तथा/या जिस व्यापार संघ का स्थायित्व पांच साल से कम न हो।
- 2.1.5 राज्य सरकार अथवा सरकारी कृषि संगठन एवं अन्य निकायों के दो से अधिक प्रतिनिधि नहीं, जो उपर्युक्त 2.1.4 में उल्लिखित चेम्बर आफ कामर्स से संबद्ध या शामिल नहीं हैं।
- 2.1.6 रेलवे के क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक एक या दो पंजीकृत यात्री संगठनों का एक प्रतिनिधि।

- 2.1.7 "विशेष हित" (स्पेशल इन्टरेस्ट) के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए रेलवे के महाप्रबंधक की सिफारिश पर नामित एक सदस्य।
- 2.1.8 माननीय रेल मंत्री द्वारा "विशेष हित" (स्पेशल इन्टरेस्ट) के रूप में नामित आठ सदस्य।
- 2.1.9 रेलवे के क्षेत्र में कार्यरत उपयोगकर्ता संरक्षण स्वैच्छिक संगठन (कंज्यूमर प्रोटेक्शन वालन्टरी आरगेनाइजेशन) का एक प्रतिनिधि।
- 2.1.10 इस रेलवे के प्रत्येक मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति से चुने हुए एक गैर सरकारी प्रतिनिधि।
- 2.2 जिन व्यक्तियों के पास रेलवे से जुड़े मुनाफे का कार्यभार जैसे खानपान एवं बिक्री ठेकेदारों आउट एजेन्सी ठेकेदारों, हैंडलिंग ठेकेदारों, इन्जीनियरिंग ठेकेदारों सहित ट्रेवलिंग एजेंसियों अथवा वे, जो मालगोदाम पार्सल कार्यालयों आदि के साथ दिन-प्रतिदिन के काम में घनिष्ठ और सीधे जुड़े हैं, जैसे फारवर्डिंग एजेंटों आदि क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति एवं राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्य हैं।
- 2.2.1 यदि किसी सदस्य को विशेष हित की कोटि के अन्तर्गत मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति और क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति दोनों के लिए नामित किया जाता है तो उस व्यक्ति की सदस्यता केवल एक ही समिति अर्थात् मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में ही मान्य होगी तथा क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति से उनका नामांकन रद्द कर दिया जाना चाहिए।
- 2.3 पूर्व मध्य रेल क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित राज्य होंगे - 1. बिहार, 2. उत्तर प्रदेश 3. झारखंड और 4. मध्य प्रदेश
- 2.4 महाप्रबंधक समिति के अध्यक्ष होंगे तथा उप महाप्रबंधक (सा.), पूर्व मध्य रेलवे समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
- 2.5 उद्योग, वाणिज्य और व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य महत्त्वपूर्ण स्थानीय चैम्बरों या प्रमुख व्यापार हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों से सामान्यतया लिए जाते हैं जिसे संबंधित राज्य सरकारों का अनुमोदन प्राप्त होता है। चैम्बर तथा/या संघों और अन्य के प्रतिनिधित्व के संबंध में माननीय मंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् उक्त संगठनों को उनका/उनके प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों के नाम नामित करने की सलाह दी जाएगी। यह उक्त चैम्बरों/संघ के विवेक पर है कि प्रतिनिधियों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा हो या किसी अन्य तरीके से।
- 2.6 क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का गठन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाएगा जो इसके गठन की तिथि से दो वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 2.7 सदस्यों का वर्गीकरण
- 2.7.1 सरकारी सदस्य, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अर्द्ध सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि "सरकारी सदस्यों" की कोटि में आएंगे।
- 2.7.2 गैर सरकारी सदस्य : उपर्युक्त पैरा 2.7.1 में दिये गए सदस्यों के अलावा बाकी सभी सदस्यों को सभी प्रयोजन के लिए गैर सरकारी सदस्य समझा जाता है।

### 3.0 कार्य संबंधी शर्तें:

- 3.1 प्रधान कार्यालय स्थित क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति इस रेलवे द्वारा सेवित सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य रेल उपयोगकर्ता का प्रतिनिधित्व करेगी और निम्न से संबंधित मामलों पर विचार कर सकती है :-
- 3.1.1 रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में यात्री या मालभाड़ा से संबंधित सुविधाओं का प्रावधान।
- 3.1.2 समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नए स्टेशनों के खोले जाने के संबंध में प्रस्ताव।
- 3.1.3 समय सारणी संबंधी व्यवस्थाएं।
- 3.1.4 रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में सुधार।
- 3.1.5 सामान्य लोकहित या सार्वजनिक सुविधा या सुविधाओं से जुड़े ऐसे मामले जो उपयोगकर्ता के प्रतिवेदन का विषय रहा हो, से संबंधित कोई विषय।
- 3.2 मंडल समितियों के रिपोर्टों से उत्पन्न मामले या ऐसे अन्य मामले जो उपर्युक्त मद (3.1.1 से 3.1.5) में उल्लिखित विषयों से संबंधित हैं, जो विशेष रूप से मंडल समितियों द्वारा विचारार्थ अग्रसारित किए जाते हैं।
- 3.2.1 प्रशासन रेल मंत्रालय अथवा राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (एन. आर. यू. सी. सी.) की रिपोर्ट और विचारार्थ भेजे गए मामले।
- 3.2.2 रेलवे दरों (भारिक शुल्क को छोड़कर) और किराए से संबंधित मामले एवं कर्मचारी से संबंधित मामले, अनुशासनात्मक कार्यवाही और नियुक्ति आदि से संबंधित प्रश्न समिति के समक्ष विचारार्थ नहीं लाए जाएंगे।
- 3.3 इन नियमों के तहत गठित क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की प्रकृति पूर्णतः परामर्शदात्री ही होगी।

### 4.0 समिति की बैठक :

- 4.1 एक वर्ष में तीन बैठकें आयोजित की जाएगी।
- 4.2 किसी विषय में सूचना जिसे कोई सदस्य विचार के लिए करना चाहते हों, वे बैठक के निर्धारित तिथि के न्यूनतम 45 (पैंतालिस) दिन पहले समिति के सचिव के पास अवश्य भेज दें। फिर भी, अत्यावश्यक विषयों पर अध्यक्ष की अनुमति/सहमति से विचार-विमर्श किया जा सकता है।
- 4.3 समिति की बैठक आयोजित करने के लिए कोई निर्धारित कोरम नहीं है।

### 5.0 चुनाव :

- 5.1 प्रत्येक अवधि के लिए रा.रे.उ.प.स. (एन.आर.यू.सी.सी.) में प्रतिनिधि भेजने के लिए गुप्त मतदान द्वारा चुनाव होगा। समिति पूर्णरूपेण गठित होने के बाद ही इस प्रकार का चुनाव होना चाहिए।
- 5.1.1 रा. रे. उ. प. स. के चुनाव तभी होंगे जब प्रत्येक म.रे.उ.प.स. से चुनाव द्वारा अपना एक-एक प्रतिनिधि क्षे. रे. उ. प. स. में भेज दिया गया हो।
- 5.2 पैरा 2.7.2 में वर्गीकृत गैर-सरकारी सदस्य ही रा. रे. उ. प. स. एवं उप रे. उ. प. स. में प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षे. रे. उ. प. स. के चुनाव में खड़ा होंगे।
- 5.2.1 केवल गैर-सरकारी सदस्य ही उपर्युक्त उद्देश्य के लिए मतदान के योग्य होंगे।
- 5.2.2 अन्य सदस्यों द्वारा विधिवत् प्रस्तावित एवं अनुशंसित इच्छुक सदस्य द्वारा ही रा.रे. उ.प.स. के लिए चुने जाने हेतु नामांकन पत्र भरे जायेंगे।

- 5.2.3 कोई भी सदस्य, जो स्वयं चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हो, इसी उद्देश्य के लिए किसी एक दूसरे सदस्य का प्रस्ताव/अनुशांसा कर सकता है।
- 5.2.4 प्रक्रिया संबंधी हुई त्रुटि जैसा कि पैरा 5.2.2 एवं 5.2.3 में उल्लिखित है, यदि नामांकन पत्र जाँच करते समय पता चलता है तो नामांकन रद्द माना जायेगा।
- 5.3.1 माननीय संसद सदस्य, विभिन्न राज्यों के माननीय विधान सभा सदस्य जो किसी रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शकर्ता समिति यथा क्षेत्र.उ.प.रा. एवं एन.आर.यू.सी.सी. में चुने जाने के हकदार नहीं होंगे, जिसमें उनके सीधे नामांकन के लिए पहले से ही प्रावधान है।
- 5.4 इस उद्देश्य के लिए चुनाव संपन्न कराने हेतु अध्यक्ष, पहले ही पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यदि आवश्यक हुआ तो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी की सहायता के लिए किसी एक अधिकारी को भी नियुक्त करेंगे।
- 5.4.1 मतदान का परिणाम अनिर्णित रहने पर समिति के अध्यक्ष चुनाव को निर्णायक बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।

## 6.0 परिचय पत्र :

- 6.1 परिचय पत्र जारी करने के लिए सभी सदस्यों द्वारा दो स्टाम्प साइज फोटोग्राफ जमा किया जाना चाहिए।
- 6.1.1 सदस्यों को जारी किया गया परिचय पत्र निःशुल्क रेलवे पास के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
- 6.2 परिचय पत्र के खो जाने पर क्षेत्र.उ.प.स. के सदस्यों द्वारा प्राथमिक सूचना रपट (एफ.आई.आर.) की एक प्रति के साथ इस संबंध में आवेदन दिया जाना चाहिए। रेलवे उन्हें एक नया परिचय पत्र जारी करेगी जिस पर डुप्लीकेट अंकित होगा।
- 6.3 सदस्यता की अवधि समाप्त हो जाने पर सदस्यों को अपना परिचय पत्र निर्गमण प्राधिकारी के पास जमा कर देना चाहिए। यदि कार्य अवधि के पहले ही समिति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा भंग कर दी जाती है तो भी सदस्यों को अपने परिचय पत्र निर्गमण प्राधिकारी के पास जमा कर देना चाहिए।

## 7.0 परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर) :-

- 7.1 जब कभी भी रेलवे द्वारा परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर) का आयोजन किया जायेगा केवल गैर-सरकारी सदस्य ही उसमें भाग लेने के योग्य हैं।
- 7.2 अत्यावश्यक समझे जाने पर विश्रामगृह/विश्रामागार की व्यवस्था परिचालित दौरा (कंडक्टेड टूर) के समय निःशुल्क की जाएगी।
- 7.3 यदि पर्याप्त संख्या में सदस्य यात्रा में सहभागी बनने के लिए अपनी पूर्व सहमति दे देने के बाद नहीं आते हैं तो सदस्यों की उपस्थिति के आकार को देखते हुए यात्रा की तिथि के दिन यात्रा को रद्द कर देने का अधिकार रेलवे प्रशासन के पास सुरक्षित है ताकि व्यर्थ व्यय से बचा जा सके। स्थगन के निर्णय पर विचार-विमर्श अगली बैठक में की जानी चाहिए।

## 8.0 बैठक के समय सदस्यों के लिए सामान्य सुविधाएँ :

- 8.1 बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाए गए दूरवर्ती सदस्यों के लिए सिर्फ तीन दिनों के लिए ही (बैठक के पहले दिन, बैठक का दिन तथा बैठक के बाद का दिन) बैठक-स्थल के निकटतम स्टेशन पर रेलवे रिटाररिंग रूमों/विश्रामगृहों में निःशुल्क रहने की व्यवस्था की जाएगी तथा रहने की व्यवस्था में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी स्वीकार नहीं की जायेगी, तथा रेल प्रशासन द्वारा जगह की अनुपलब्धता की स्थिति में उपयुक्त/उपलब्ध होटलों में की जायेगी।
- 8.2 बैठक में उपस्थित होने के लिये आये सदस्यगण, विश्रामगृह/रिटाररिंग कक्षों/होटलों में ठहरने के दौरान खान-पान सेवाओं का लाभ केवल स्वयं भुगतान करके ही उठा सकते हैं।
- 8.3 सदस्यों के लिए ठहरने के स्थान से बैठक-स्थल तक आने एवं जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की जा सकती है।

## 9.0 यातायात सुविधाएँ :

### 9.1 गैर-सरकारी सदस्यों के लिए :

- 9.1.1 बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाए जाने पर गैर-सरकारी सदस्यों को अपने गृह-स्थान (होम स्टेशन) से सिर्फ बैठक-स्थल तक पहुँचने तथा वापसी की यात्रा के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/II वातानुकूलित दर्जे (राजधानी एवं शताब्दी गाड़ियों को छोड़कर) के पास जारी किये जाएंगे।
- 9.1.2 प्रथम श्रेणी/II वातानुकूलित श्रेणी के लिए जारी इस तरह के पास पर एक परिचायक को द्वितीय श्रेणी/शयनयान में ले जाने की सुविधा होगी।
- 9.1.3 यदि कोई सदस्य प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करना चाहें तो उन्हें जैसा देय होगा, भाड़े का अन्तर देना होगा (राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के किसी श्रेणी को छोड़कर)।
- 9.1.4 पहले से विद्यमान पास-नियम के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार मार्गस्थ यात्रा भंग करने की अनुमति है। इस उद्देश्य के लिए कोई भी अतिरिक्त यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- 9.1.5 उन स्थानों के लिए जो रेल-हेड से जुड़े हों, विमान यात्रा अनुमेय नहीं है। उन स्थानों के लिए जो रेल-हेड से जुड़े न हों, सदस्य के निवास से निकटतम हवाई अड्डे से निकटतम रेल-हेड तक विमान यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। फिर भी, यदि निकटतम हवाई अड्डे से निकटतम रेल-हेड तक का हवाई किराया और निकटतम रेल-हेड से बैठक स्थल के बीच के रेल किराए (2 वाता.) का कुल योग निवास स्थान के निकटतम हवाई अड्डे से बैठक स्थल के निकटतम हवाई अड्डे तक के कुल हवाई किराये से अधिक हो, तो सदस्य के निवास के निकटतम हवाई अड्डे से बैठक स्थल तक हवाई किराये की अनुमति दी जा सकती है।
- 9.1.6 यदि कोई सदस्य वैसे स्थान पर रह रहे हों जो रेल-हेड से नहीं जुड़ा हो और निकटतम रेल-हेड तक समुद्री मार्ग के साथ ही हवाई मार्ग से भी पहुँचा जा सकता हो तब सदस्य को परिवहन के वैसे साधन से यात्रा करने की अनुमति होगी जिसका किराया कम हो।

9.1.7 रेलवे स्थापना (इंस्टेबिलिजेशन) के निरीक्षण के लिए क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को कोई अतिरिक्त पास नहीं जारी किया जाएगा।

## 9.2 सरकारी सदस्यों के लिए :

9.2.1 सिर्फ बैठक-स्थल तक पहुँचने तथा वापसी हेतु राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उद्योगों के प्रधान कार्यालयों से सरकारी सदस्यों के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के पास जारी किए जा सकते हैं।

## 9.3. राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए :

9.3.1 अपने गृह स्थान (होम स्टेशन) से बैठक स्थल तक यात्रा करने हेतु विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्यों के लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी/द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के लिए पास जारी किए जा सकते हैं।

## 9.4 संसद सदस्यों के लिए :

9.4.1 एक संसद सदस्य/सदस्या अपने लिए जारी पहचान कार्ड-सह रेलवे पास का उपयोग कर साधारणतः रेल द्वारा ही यात्रा करेंगे/करेंगी। वे अपनी मर्जी से विमान द्वारा भी यात्रा कर सकते/सकती हैं। फिर भी, सामान्य रूप से विमान यात्रा का आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए तथा इस तरह की यात्रा करने के लिए कारकों यथा-कार्य की अत्यावश्यकता यात्रा की जाने वाली दूरी, अपने कार्य-निष्पादन के लिए समय इत्यादि का ध्यान सदस्य/सदस्या को रखनी चाहिए तथा जहाँ विमानों में दो श्रेणियों यथा-प्रथम एवं मितव्ययी (पर्यटक) श्रेणी, उपलब्ध हों, एक संसद सदस्य/सदस्या प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकते/सकती हैं।

9.4.2 संसद सदस्य/सदस्या के लिए सामान्यतः कोई पास जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्हें पहचान कार्ड-सह-रेलवे पास दिया गया है फिर भी उनकी ओर से समिति या उसकी उप समिति में भाग लेने हेतु प्रथम श्रेणी मानार्थ पास जारी करने के विशेष अनुरोध पर ऐसा किया जा सकता है, यदि पहचान कार्ड-सह-रेलवे पास खो जाने की सूचना दी गई हो।

9.4.3 जहाँ कोई सदस्य संसद के सदन के सत्र अथवा किसी समिति की बैठक में भाग लेने के उद्देश्य से अथवा सदस्य के रूप में अपने ड्यूटी से संबंध किसी अन्य कार्य करने के उद्देश्य से अपने सामान्य निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान से अथवा ऐसे स्थान तक वापसी यात्रा करता है, तो वह की गई वास्तविक यात्रा अथवा अपने सामान्य निवास स्थान से या तक यात्रा, जो भी कम हो, के लिए यात्रा भत्ता आहरित कर सकता है।

## 9.5 परिचर की परिभाषा :

9.5.1 'परिचर' शब्द की परिभाषा यह है कि एक व्यक्ति जो पास धारक की व्यक्तिगत सेवा में वेतन पर नियोजित किया गया हो। इसमें पूरे समय वाले घरेलू कर्मचारी शामिल हैं यथा - बेयरा, खनसामों (बटलर), रसोइया, आया इत्यादि। लेकिन इसमें शिक्षक, दर्जी, धोबी इत्यादि या पास धारक का कोई संबंधी, जो नौकर की तरह कार्य कर रहा हो, शामिल नहीं है।

## 10 यात्रा सुविधाएँ :

9.6.1 समिति की बैठकों में भाग लेने या समिति के अन्य कार्य के लिए सदस्यों को अस्थायी निवास के निकटतम रेलवे स्टेशन से पास जारी करने हेतु उनके अनुरोध को गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जा सकता है तथा महाप्रबंधक के व्यक्तिगत अनुमोदन से पास जारी की जा सकती है, बशर्ते कि अस्थायी निवास स्थल तथा बैठक स्थल के नीचे की दूरी स्थायी निवास स्थल तथा बैठक स्थल के बीच की दूरी से कम हो।

9.6.2 निवास स्थान के अतिरिक्त भी किसी स्टेशन तक वापसी यात्रा के लिए पास जारी की जा सकती है, बशर्ते कि बहिर्यात्रा के लिए जारी पास के स्टेशन की दूरी से वह दूरी (वापसी यात्रा की) कम हो।

## 10.0 यात्रा एवं दैनिक भत्ते :

### 10.1 गैर-सरकारी सदस्यगण :

10.1.1 सदस्य के निवास स्थल के निकटतम रेलवे स्टेशन तथा बैठक स्थल के बीच तथा उसके विपरीत क्रम में यात्रा करने में लगे कोई भी कैलेण्डर दिन या एक से अधिक दिन के लिए पाकेट खर्च में से बैठक की अवधि के दौरान प्रतिदिन ₹0 120/- की दर से दैनिक भत्ता तथा ₹0 50/- प्रतिदिन के हिसाब से यात्रा भत्ता दिया जाएगा। पाकेट भत्ता में से ₹0 50/- उस दिन या उन दिनों के लिए नहीं दिया जाएगा जिस दिन के लिए ₹0 120/- के रूप में दैनिक भत्ता देय है।

10.1.2 यदि निकटतम रेलवे स्टेशन से निवास स्थान की दूरी 8 किमी. से अधिक है, तो प्रति किमी. 4/- (चार रुपये) अधिकतम के हिसाब से निवास स्थान तथा रेलवे स्टेशन के बीच की यात्रा के लिए वास्तविक पाकेट खर्च के रूप में दिया जायेगा।

10.1.3 शहर जिसमें बैठक हो रही है, के किसी कोने में रहने वाले क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के स्थानीय गैर-सरकारी सदस्य "ए" एवं "बी" श्रेणी के शहर के लिए वास्तविक वाहन किराया प्रभार अथवा 100/- ₹0 प्रतिदिन जो भी कम हो, एवं अन्य "सी" श्रेणी के शहरों के लिए वास्तविक वाहन प्रभार अथवा 75/- ₹0 प्रतिदिन जो भी कम हो, भुगतान के पात्र होंगे। तथापि, उन्हें कोई दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।

### 10.2 सरकारी सदस्य :

10.2.1 समिति के सरकारी सदस्य पैरा 10.1.1 एवं 10.1.2 में वर्णित भत्तों के हकदार नहीं होंगे। इस सदस्यों को यात्रा भत्ता उनके अपने नियमों के अनुसार दिया जाएगा और उनके संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा वहन किया जायेगा।

### 10.3 विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों :

10.3.1 क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में नामित राज्य विधायिका के सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता (सुविधा भत्ता सहित) संबंधित राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियम के अंतर्गत दिया जाएगा और राज्य विधायिका माना जाएगा।

और राज्य विधायिका के सत्र के दौरान वे अपने संबंधित वेतन और भत्ता भुगतान तथा रिमुवल ऑफ सिक्वालिफिकेशन अधिनियम के अंतर्गत निर्देशित होंगे। फिर भी इन सदस्यों को उनके निवास स्थान के निकटतम स्टेशन से बैठक स्थल पर आने एवं वापसी यात्रा हेतु प्रथम श्रेणी पास जारी किया जा सकता है। यदि विधायिका के सदस्य ऐसा अनुरोध करते हैं तो संबंधित उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक स्थल से उस शहर के स्टेशन तक जहाँ विधान सभा स्थित है, की वापसी यात्रा हेतु भी पास जारी किया जा सकता है। राज्य विधायिका के सदस्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता (सुविधा भत्ता सहित) की निकासी नहीं करेंगे, जो उन्हें राज्य विधायिका के सदस्य के अयोग्य बना सकता है।

10.3.2 किसी भी ऐसे दिन के लिए जिसके लिए सदस्य, विधान सभा सदस्य/विधान परिषद् सदस्य के रूप में अपने दैनिक भत्ता के हकदार हैं, दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

10.3.2.1 बैठक के स्थान एवं उनके निवास स्थान के निकटस्थ रेलवे स्टेशन के बीच और उसी प्रकार दूसरी ओर से वापसी के तहत यात्रा में लगे दिनों की संख्या की गणना यात्रा भत्ता के रूप में की जाएगी तथा सदस्य द्वारा किये गये वास्तविक व्यय की प्राप्ति तक वापसी सीमित होगी। इस उद्देश्य के लिए सदस्य के दावे के साथ निम्नलिखित के संबंध में एक समुचित प्रमाण पत्र संलग्न होगा :

“प्रमाणित किया जाता है कि क्षेत्र.उ.प.स. के सदस्य के रूप में कर्तव्य निर्वाह में मेरे द्वारा किया गया वास्तविक व्यय जिसके लिए यात्रा भत्ता/परिवर्तन भत्ता का इस बिल में दावा किया गया है, वह दावा की गयी राशि से कम नहीं था।”

सदस्य विधान सभा/सदस्य विधान परिषद् का हस्ताक्षर

#### 10.4 संसद सदस्य :

10.4.1 संसद सदस्य के पक्ष में निर्गत किया गया पहचान-पत्र-सह-रेलवे पास का उपयोग कर वे रेल द्वारा साधारणतया यात्रा करेंगे। वे अपने विवेकानुसार वायुयान द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। यदि वायुयान द्वारा यात्रा किया जाता है, तो आउट ऑफ पाकेट खर्च स्वरूप ऐसी यात्रा हेतु वायुयान भाड़ा का एक एवं एक चौथाई के बराबर की राशि के लिए सदस्य हकदार होंगे।

10.4.2 समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिए संसद सदस्य रेल की अपेक्षा सड़क द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। ऐसे मामले में संसद सदस्य 8.00 रु० प्रति कि. मी. की दर से रोड मील-भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। यात्रा भत्ता की जगह जो उनको स्वीकार्य रहा हो यदि वे रेल द्वारा यात्रा करते, बशर्ते कि सम्पूर्ण यात्रा के लिए ऐसे सदस्य द्वारा लिये गये यात्रा भत्ता की कुल राशि से उक्त राशि अधिक नहीं होगी जो उनके लिए स्वीकार्य रहा होगा, अगर वे रेल द्वारा यात्रा कर चुके होते।

10.4.3 यदि संसद सदस्य रेल द्वारा यात्रा करते हैं तो बैठक का स्थान एवं निवास स्थान से आउट ऑफ पाकेट खर्च के रूप में इकहरी द्वितीय श्रेणी भाड़ा और इकहरी यात्रा प्रथम श्रेणी भाड़ा के बराबर की राशि यात्रा भत्ता स्वरूप भुगतान किया जाना चाहिए बिना इस बात पर ध्यान दिए कि सदस्य ने किस श्रेणी में यात्रा की।

10.4.4 बैठक की अवधि के दौरान रु० 500/- प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता।

- 10.4.5 बैठक के दिन/दिनों में इस दैनिक भत्ता के अतिरिक्त, सदस्य बैठक को कार्यवाही के दो दिन पूर्व और बैठक समापन के दो दिन बाद हेतु दैनिक भत्ता के लिए हकदार होंगे, यदि वे इन दिनों में बैठक के स्थान पर वास्तव में ठहरते हैं।
- 10.4.6 किसी भी ऐसे दिन के लिए दैनिक भत्ता का भुगतान, देय नहीं है जिस दिन संसद सदस्य एक संसद सदस्य के रूप में अपना दैनिक भत्ता पाने के हकदार है।
- (ए) यदि यात्रा हवाई मार्ग से की जाती है तो प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिए हवाई यात्रा भाड़े के  $1\frac{1}{4}$  के बराबर धनराशि।
- (बी) यदि यात्रा या उसका कोई भाग रेल या हवाई मार्ग से नहीं की जा सकती हो।
- (I) जहाँ यात्रा या उसका कोई भाग स्टीमर से किया जाए तो स्टीमर में उच्चतम श्रेणी की ऐसी प्रत्येक यात्रा या उसके किसी भाग के लिए भाड़े के (आहार रहित)  $1-3/5$  के बराबर की धनराशि अथवा, यदि नियमित स्टीमर सेवा विद्यमान न हो तो ऐसी यात्रा अथवा उसके किसी भाग के लिए ऐसी धनराशि जैसा कि संसद अधिनियम, 1945 के वेतन, भत्ते और पेंशन की धारा 9 के अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित हो।
- (II) जहाँ यात्रा या उसका कोई भाग सड़क मार्ग से किया जाए तो ऐसी यात्रा या उसके किसी भाग के लिए 8 रु. (आठ रुपये मात्र) प्रति किलोमीटर की दर से रोड माइलेज (सड़क मील भत्ता)
- (III) आगे पुनः यह कि जब कोई सदस्य दिल्ली में सड़क मार्ग से हवाई अड्डे से और हवाई अड्डे तक यात्रा करता है तो ऐसी प्रत्येक यात्रा के लिए न्यूनतम रु. 120/- (एक सौ बीस रुपये मात्र) भुगतान किया जाएगा।
- 10.4.7 आउट ऑफ पाकेट भत्ता (यथा बैठक स्थल एवं अपने निवास स्थान से निकटस्थ रेल स्टेशन एवं उसी प्रकार वापसी के बीच इकहरी प्रथम श्रेणी भाड़ा और इकहरी द्वितीय श्रेणी भाड़ा के समतुल्य राशि) संसद सदस्य द्वारा की गयी वास्तविक खर्च की पूर्ति तक सीमित होगी। इस उद्देश्य हेतु संसद सदस्य के दावे में निम्नलिखित समुचित प्रमाण पत्र संलग्न होगा।

“प्रमाणित किया जाता है कि क्षे. रे. उ. प. स. के सदस्य के रूप में कर्तव्य निर्वाह में मेरे द्वारा किया गया वास्तविक व्यय जिसके लिए यात्रा भत्ता/परिवर्तन भत्ता का इस बिल में दावा किया गया है, वह दावा की गयी राशि से कम नहीं था।”

#### संसद सदस्य का हस्ताक्षर

- 10.4.8 उपर्युक्त नियमों के तहत जहाँ वास्तविक खर्च की राशि उच्चतम देय राशि की अपेक्षा कम हो तो भत्ते की राशि को वास्तविक खर्च की राशि तक कम कर दी जाय जिसे पैरा 10.4.7 में उल्लेख के अनुसार प्रमाणित किया जा सकता है।
- 10.4.9 संसद सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्य इस समिति की बैठक आदि के संबंध में उनके द्वारा वास्तविक रूप में की गयी यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता के पात्र हैं।
- 10.4.9.1 संसद के प्रत्येक सदस्य को संसद के सदन के सत्र में भाग लेने के उद्देश्य से अथवा किसी समिति की बैठक अथवा सदस्य के रूप में अपनी ड्यूटी से संबद्ध किसी अन्य कार्य को करने के लिए भारत में उनके द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के लिए उनके सामान्य निवास स्थान से उस स्थान तक, जहाँ अथवा बैठक आयोजित होनी है अथवा अन्य कार्य सम्पादित किए जाने हैं और ऐसे स्थान से सामान्य निवास तक वापसी यात्रा के लिए भुगतान किया जाएगा।

10.4.9.2 समिति की बैठक आदि के स्थान तक संसद/राज्य विधान मंडल की बैठक के स्थान से और वापसी यात्रा हेतु, यदि संसद/राज्य विधान मंडल के सत्र में भाग लेने के समय वहाँ से बैठक में जाने और वहाँ से वापसी यात्रा की जाए।

11.0 अनुपालन के लिए मार्गदर्शन :

11.1 अधिसूचित गैर-सरकारी समितियों के सदस्यों के पदनाम जो उनके पत्र शीर्ष लेटर हेड/विजिटिंग कार्ड आदि पर मुद्रित हों वे पूरी तरह से उनके नामांकन पत्र के अनुसार होने चाहिए।

11.2 उन्हें अपने पत्र शीर्ष (लेटर हेड) स्टेट्स, क्रेस्ट्स, बैजों, हाउस फ्लैग या अन्य उद्देश्य हेतु सरकारी अनुमति के बिना सरकारी प्रतीकों के उपयोग की अनुमति नहीं है।

12.0 सदस्यता का निरस्तीकरण :

12.1 इस आशय की सूचना मिलने पर कि किसी सदस्य/सदस्यों के खिलाफ न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है या कोई सदस्य आपराधिक कार्यवाही में विधि न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों की सदस्यता सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करके निरस्त कर दी जाएगी।

12.2 सदस्य/सदस्यों की ओर से की गई कोई कार्रवाई रेलवे के हित में नुकसान देय पायी जाने पर उनकी सदस्यता/सदस्यताएँ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जप्त कर ली जाएगी।

13.0 माननीय संसद सदस्यों/विधायकों/विधान परिषद के सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति।

13.1 वैसे माननीय सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य जो जेड.आर.यू.सी.सी. समिति के अवधि के पहले ही संसद सदस्य/विधान सभा/विधान परिषद के सदस्य नहीं रह जाएंगे। उनकी सदस्यता समाप्त हो जायगी।

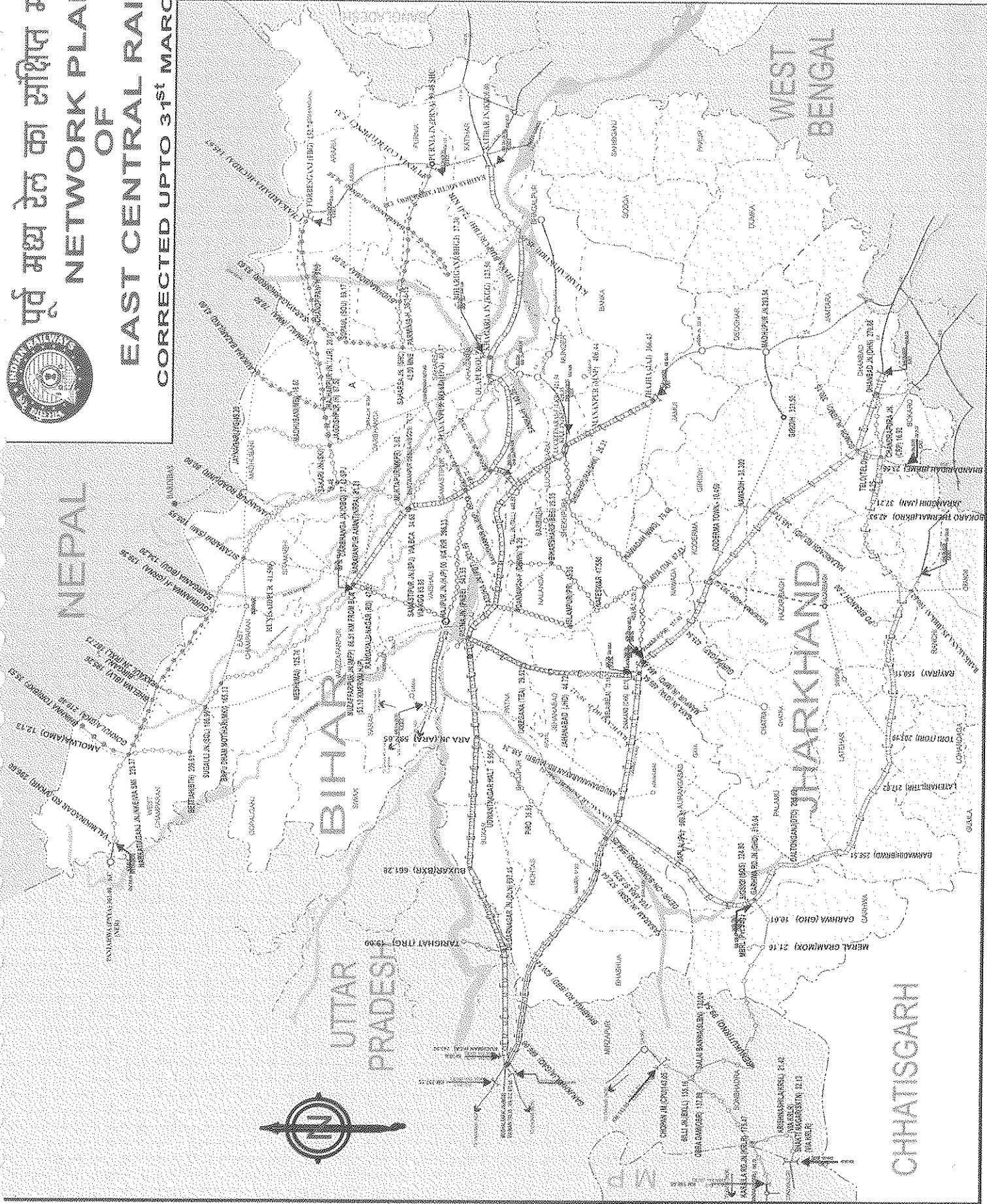
\* \* \* \* \*



# पूर्व मध्य रेल का संक्षिप्त मानचित्र NETWORK PLAN OF

## EAST CENTRAL RAILWAY

CORRECTED UPTO 31<sup>st</sup> MARCH '2011



**LEGEND**

- BROAD GAUGE SINGLE LINE
- BROAD GAUGE DOUBLE LINE
- METER GAUGE SINGLE LINE
- METER GAUGE DOUBLE LINE
- DISTRICT BOUNDARIES
- STATE BOUNDARIES
- INTERNATIONAL BOUNDARY
- OTHER RAILWAY
- ELECTRIFIED LINE SINGLE POINT B.T.
- ELECTRIFIED LINE DOUBLE POINT B.T.
- UNDER CONSTRUCTION BROAD GAUGE SINGLE LINE

**TO TOP**

Gauge Conversion from M.G. to B.G.  
Bridges in Progress  
Divisional Boundaries  
Railway Stations and Junctions  
Railway Divisional Headquarters  
Railway Zonal Headquarters

